हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक लखनऊ

मई, 2009 वर्ष 8 अंक 3

इस्लाम अख़लाक़ से फैला

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मआ़ज़ बिन जबल और अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा को इस्लाम की दअ़्वत देने के लिये यमन रवाना किया और उनको हिदायत की कि सुनो लोगों के लिये आसानी पैदा करना तंगी व सख़्ती न करना, ख़ुशख़बरी (शुभ सूचना) देना, मुतनफ़्फ़िर (घृणक) व बेज़ार (अप्रसन्न) न करना।

(सहीह बुख़ारी किताबुल मग़ाज़ी)

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

सम्पादक
डॉ. हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु. गुफ़रान नदवी
मु. हसन अन्सारी
हबीबुल्लाह आज़मी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
पो0 बॉ0 नं0 93
टैगोर मार्ग, नदवतुल उलमा, लखनऊ
फोन : 0522–2740406
: 0522–2741221
E-mail :
nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	रु0 12/-
वार्षिक	रु0 120/-
विशेष वार्षिक	रु0 500/-
विदेश में (वार्षिक)	30 यूएस डालर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
सेक्रेटरी, मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
नदवतुल उलमा, लखनऊ, 226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

Visoin Computers- 9838644687

विषय एक दृष्टि में

कैसे हो पारस्पारिक एकता	सम्पादकीय	3
कुर्आन की शिक्षा	मौ0 मु0 मंजूर नोमानी	5
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	8
गर्भ में व्याकुल कन्या (पद्य)	इदारा	9
कारवाने ज़िन्दगी	मौ0 सै0 अबुल हसन अली हसनी	10
इस्लाम दुश्मनी का स्रोत साहित्य	मु0 हसन अन्सारी	12
मुसलमानों के आपसी हुकूक	अल्लामा सैयद सुलैमान नदवी रह0	13
जग नायक	मौ0 स0 म0 राबे हसनी	15
आख़िरत के मराहिल	मौ0 मुजीबुल्लाह नदवी	17
आप के प्रश्नों के उत्तर	इदारा	19
हम कैसे पढ़ायें	डॉ0 सलामतुल्लाह	21
हम उर्दू क्यों पढ़ें?	एम0 ह0 अन्सारी	22
लिखने की कला	शमीम इक्बाल खाँ	23
इस्लाम के सुखद अनुभव	शहनाज़ खान नार्वे	27
सुबह का तारा	डॉ0 फिरोज सुलताना	30
योग और धर्म–प्रचार	ग्रहीत	31
भारत का संक्षिप्त इतिहास	इदारा	32
इस्लाम ने धर्म विमुखता से उबार लिया	अब्दुल करीम हरबर्ट	36
मुस्लिम पर्सनल लॉ का महत्व	डॉ0 मुहम्मद अहमद	38
हिन्दी लिपि में उर्दू शब्दों का उच्चारण	इदारा	39
अतंर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ0 मुईद अशरफ	40

कैसे हो पारस्परिक एकता?

डा० हारून रशीद सिद्दीकी

आज हर ओर पारस्पारिक एकता का नाद है। जैसे : धार्मिक मतभेद भुलाकर एक प्लेट फ़ार्म पर आ जाओ और एलेक्शन से बी जे पी को हरा कर सेकुलर राज्य स्थापित करो। मस्लकी भेद भाव भुला कर अपनी एक शक्ति बनाओ और अत्याचारियों के अत्याचार से छुटकारा पाओ। धार्मिक विभेद दूर कर मानवता के आधार पर प्रेम भाव से रह कर सुखद जीवन बिताओ। परन्तु जब एकता के इस नाद पर एक बुद्धि रखने वाला, सचेत मनुष्य ध्यान देता है और इस की ओर पग बढ़ाना चाहता है तो उस के समक्ष कुछ कठिनाइंया आती हैं।

एक व्यक्ति हिन्दू घर में जन्मा है वह अनेकेश्वर वादी है मूर्ति पूजक है अपितु हिन्दूओं में आर्यसमाजी हैं जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, अवतार वाद का खन्डण करने वाले हैं, इन दोनों में मित्रता कैसे हो? इसी प्रकार हिन्दू समाज ही में आज तक कोरी, पासी, चमार ब्रह्मणों और छत्रियों की बराबरी नहीं पा सके हैं। शादी विवाह तो छोड़िये साथ खाना पीना और बैठना भी असम्भव है। यह कुछ राजनीतिक मंचो पर जो बराबरी दिखती है यह केवल दिखाई जाती है, जरा गांवों, कस्बों में इन का बरताव देखिये। इसी प्रकार मांसाहरियों और शाकाहारियों की समस्याएं हैं। बौध धर्म वाले ईश्वर को मानते ही नहीं, जैन धर्म वाले तीरथंकर ही को सब कुछ मानते हैं। ईसाई धर्म वाले ईसा मसीह को खुदा का बेटा भी कहते हैं और खुदा भी, मुसलमान तौहिद के क़ाइल एकेश्वर वादी हैं, तथा धर्मिक ज्ञान प्राप्त के लिये मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को अल्लाह का आख़िरी रसूल (अन्तिम सन्देष्टा) मानना अनिवार्य कहते हैं। और अल्लाह (ईश्वर) के अतिरिक्त किसी की उपासना, उस के आगे झुकना, उस को सजदा करना, उस को रोज़ी देने वाला, जन्म देने वाला, मौत देने वाला, सन्तान देने वाला आदि मानने को शिर्क कहते है। वह क़त्ल किये जाने को, आग में डाल देये जाने को सहन कर सकते हैं पर शिर्क नहीं कर सकते, ऐसी ही उन को शिक्षा दी गई है। फिर उन में परसपर भी बड़ा मत भेद है। मुसलमानों को इस्लाम धर्म मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) द्वारा उन के साथियों के माध्यम से मिला और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के उत्तम साथियों में उन के पश्चात होने वाले पांचो खुलफ़ा (प्रतिनिधि) अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली तथा हसन (रज़ियल्लाहु अन्हुम) हैं। जब कि शीआ लोग केवल अली व हसन (रज़ियल्लाहु अन्हुमा) को मानते है, और उन से पहले तीनों ख़ुलफ़ा को यही नहीं कि उन को ख़लीफ़ा न मानें उन के लिये बहुत ही बुरे शब्द बोलते हैं। जब कि हज़रत अली (रज़ि0) और हज़रत हसन (रज़ि0) की इन बुज़ुर्गों से कभी कोई लड़ाई नहीं हुई सब एक दूसरे को सहयोग देते रहे। इसी आधार पर सुन्नी वर्ग सब का आदर करते हैं, और शीआ हज़रात पहले तीनों ख़ुलफ़ा को बुरे शब्दों से याद करते हैं तो बड़ा दुःख अनुभव करते हैं। ऐसे में इन शीआ और सुन्नियों में कैसे मेल हो?

फिर ख़ुद सुन्नियों में पांच ग्रूप हो गये, हनफी, मालिकी, शाफ़ई, हंबली और अहले हदीस, ख़ैर इन में के अधिक लोग अब एक दूसरे को बुरा नहीं कहते परन्तु कुछ लोग बड़ा कठोर मत भेद रखते है, उक्त चारों गुट अपने अपने इमाम का अनुकरण करते हैं अहले हदीस के कुछ लोग इमामों के अनुकरण को शिर्क ठहराते हैं जब कि शिर्क करने वाला इस्लाम से बाहर समझा जाता है। इस से आगे बरेलवी और देव बन्दी का मतभेद तो बहुत ही आगे जा चुका है। बरेलवी अपने सहमतयों के अतिरिक्त सभी उलमा को देवबन्दी, वहाबी कहते हैं। और उन पर आरोप लगाते हैं कि यह लोग (अल्लाह की शरण) अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का अपमान करते हैं, और अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का अपमान करने वाला मुसलमान नहीं रह सकता। फिर बरेलवी हज़रात ने दीन में कुछ नई बातें निकाल ली हैं जिन की शिक्षा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नहीं दी, उन का कहना है कि यह भले ही नई हों मगर भली हैं अतः इन को बाक़ी रहना चाहिये, जैसे कब्रों पर उर्स, उन पर चढ़ावा, विशेष प्रकार से

अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के जन्म का वर्णन, विशेष प्रकार से फातिहा, हुज़ूर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का नाम सुनने पर अगूठे चूमना, मुर्दा दफ़्न कर के क़ब्र पर अज़ान कहना आदि।

देवबन्दी उ़लमा या दूसरे उ़लमा जो बरेलवी उ़लमा से सहमत नहीं हैं, उन का कहना है कि बरेलवी उ़लमा की यह बात सत्य है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का अपमान कुफ़्र है, इस पाप से आदमी मुसलमान नहीं रहता हम लोग ख़ुद ऐसे आदमी को मुसलमान नहीं मानते, हम किसी प्रकार भी अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का अपमान न करते हैं न कोई दूसरा करे तो उस को सहन कर सकते हैं। यह बरेलियों का हम पर मिथ्या आरोप है। अलबत्ता बरेलवी लोग हुज़ूर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) में और दूसरे बुज़ुर्गों में अपनी ना समझी से ख़ुदाई सिफ़ात (ईश्वरी गुण) मानते हैं, क़ब्रों को सजदा करते हैं, ग़ैरुल्लाह (अल्लाह के अतिरिक्त) से दुआ़एं मांगते हैं, उन को सन्तान देने वाला, आजिविका देने वाला आदि मानते है, अगर जान बूझ कर यह ऐसा करते है तो यह अल्लाह के साथ दूसरों को साझी बनाना हुआ। फिर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने दीन में नई बात निकालने को पथ भ्रष्टता बताया है। इस से यह बात भी सिद्ध होती है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने जो दीन बताया वह अपूर्ण था, हम उस में बढ़ा कर पूर्ण करते हैं। तातपर्य यह कि दोनों में बांसों का बैर है, दोनों में मेल कैसे हो।

ऐसा लगता है कि उम्मत की अचेतना से उम्मत में फूट डालने में शैतान सफल हो गया है। इस में सब से ढेढ़ा मत भेत शीआ़ सुन्नी का है, दूसरे देवबन्दी बरेलवी का।

फिर भी अगर शीआ़ लोग चाहें तो सुन्नी शीआ़ में सामाजिक मेल मिलाप इस प्रकार हो सकता है कि वह ह़ज़रत अबू बक्र, ह़ज़रत उ़मर और ह़ज़रत उ़स्मान (रज़ि0) को बुरा न कहें। सुन्नी लोग तो सभी को मानते हैं और उनका कहना है कि ह़ज़रत अ़ली और अहले बैत तथा उक्त तेनों ख़ुलफ़ा में कोई वैमनस्य था ही नहीं लेकिन अगर शीआ़ों के निकट था तो जिस प्रकार ह़ज़रत अ़ली, ह़ज़रत ह़सन और ह़ज़रत ह़ुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने उनसे मेल रखा वैसे ही शीआ़ लोग उनको बुरा न कह कर उनका आदर करें तो शीआ़, सुन्नी मेल सम्भव है। रही उनकी इबादती रस्मीयात तो वह अपने ढंग से करें सुन्नी अपने से ढंग करें। इस प्रक्रिया से शीआ़ सुन्नी झगड़ा समाप्त हो सकता है।

रही बात देवबन्दियों और बरेलियों की तो वह भी यदि चाहें तो मेल सम्भव है। बरेलवी ह़ज़रात दीन में जिन नई बातों को बिदअ़ते ह़सनः कहते हैं वह उन्हें अपने ही तक रखें और अल्लाह के रसूल के कथन "हर बिदअ़त भ्रष्टता है" मानने वालों को बुरा न कहें तथा देवबन्दियों पर अल्लाह के रसूल के अपमान के जो आरोप लगा रहे है उनसे बचें तथा देवबन्दी लोग सर्वसाधरण मुसलमानों के कुछ कर्म जैसे क़ब्रों को सजदा, तअ़जियों पर चढ़ावा, तअ़जियों से मुरादें मांगना आदि देख कर सभी बरेलियों पर शिर्क का आरोप न लगाएं और बुराइयों को सभी मिलकर समाज से दूर करने की चेष्ठा करें। सब से बड़ी बात है कि दोनों गुट के उलमा अगर परस्पर मेल की सोचें तो हम जैसों के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता ही न पड़ेगी वह हम से कहीं अच्छी राहें निकाल लेंगे मैं उ़लमा ह़ज़रात से अनुरोध करता हूँ कि फूट में ग्रस्त लोगों तक सूर–ए–अन्फ़ाल आयत 46 का सन्देश पहुचाएं।

धर्मियों के इस मत भेद ने अधर्मियों को हंसने का अवसर दे दिया है। यद्यपि उन की हंसी बहुत ही क्षणिक सिद्ध होगी।

क़ौम के यह हालात कुछ नये नहीं हैं, यह मत भेद तथा विभिन्नता सदैव से चली आ रही है और इन्सानों के धरती पर रहने तक रहे गी। जो लोग बुद्धमानी से इस विभिन्नता से निमटने का प्रयास करेंगे बड़ी सीमा तक वह सुख शान्ति प्राप्त करें गे अन्यथा ऐसी ही जूझते भुगतते रहें गे, इस संसार के लिये जो जीवन मिला है वह तो यहां बिताना ही है, चाहे कष्ट के साथ बीते चाहे सुख के साथ।

हमारा देश उक्त मतों तथा धर्म वालों का देश है। कोई चाहे कि सब लोग धर्म से एकान्त लेकर नास्तिक हो जाएं तो यह तो सम्भव नहीं, ना ही इस में सफलता की गारन्टी है।

शेष पृष्ठ 26

क़ुरआन की शिक्षा

मौलाना मु० मंजूर नोमानी

तवक्कुल :–

तर्जमा :– अगर अल्लाह तआला तुम्हारी मदद फ़र्माये तो कोई तुम पर ग़लिब आ नहीं सकता, और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद से हाथ उठा ले तो उस के बाद कौन तुम्हारी मदद कर सकता है। और ईमान वालों को अल्लाह ही पर तवक्कुल और भरोसा करना चाहिये।

(आलि इम्रान : 160)

एक दूसरी जगह इर्शाद फ़र्माया गया है:–

तर्जमा :– अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं (सिर्फ़ वही मालिक व माबूद है) और ईमान वालों को बस अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिये।

(तग़ाबुन : 13)

एक और जगह इर्शाद फ़र्माया गया है:–

तर्जमा :– और तुम भरोसा करो हमेशा ज़िन्दा रहने वाली उस हस्ती पर जिस को फ़ना और मौत नहीं (और उस के सिवा सब फ़ना होने वाले हैं।

(अलफ़ुरकान : 58)

एक जगह इर्शाद हुआ है कि:–

तर्जमा :– और जो बन्दा तवक्कुल करे अल्लाह पर तो अल्लाह उस के लिए बिलकुल काफ़ी है, बिला शुबह अल्लाह तआला अपना काम पूरा करने वाला है।

(तलाक़ : 3)

तवाज़ो –: क़ुरआने मजीद ने जिन अख़्लाक़ पर ख़ास तौर से जोर दिया है उन में से एक तवाज़ो भी है। तवाज़ो, तकब्बुर (अहंकार) की ज़िद है और इस का मतलब यह है कि आदमी, दूसरों से अपने को कमतर समझे। उस का चाल–चलन अल्लाह के आजिज़ बन्दों का सा हो और दूसरों के साथ मुआमला व बरताव नीचा बन के करे।

तवाज़ो का ज़ुहूर (प्रकटन) रफ़्तार (गति) में भी होता है, गुफ़्तार (वार्तालाप) में भी और किर्दार (आचरण) में भी, यहाँ तक कि बैठने–उठने में भी।

सूरए–फ़ुर्क़ान में जहाँ अल्लाह के खास मक़्बूल बन्दों के औसाफ़ व तौर–तरीक़े बयान फ़र्माये गये हैं, वहाँ एक सिफ़त उन की यह भी बयान फ़र्मायी गयी है कि वे फ़रोतनी (आजिज़ी वाली) चाल चलते हैं। इर्शाद है:–

तर्जमा :– और रब्बे–रहमान के (ख़ास) बन्दे तो वे हैं जो चलते हैं ज़मीन पर नीचे बन कर।

(अलफ़ुर्क़ान : 63)

और सूरए–बनी इस्राईल में जहाँ इख़्लास, तौहिद और आमाल व अख़्लाक़ बग़ैरा के संबंध में करीबन दो रूकूअ़ में स्पष्ट हिदायतें दी गयी हैं वहाँ आख़िरी हिदायत यह दी गयी है:–

तर्जमा :– और जमीन पर अकड़ते और एंठते न चलो। न तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो, न पहाड़ों की लम्बाई को पहुँच सकते हो।

(बनी इस्राईल : 37)

और सूरए–लुक़्मान में हज़रत लुक़्मान की ज़ुबान से तवाजो के बारे में यह जामे (व्यापक) नसीहत नक्ल फर्मायी गयी है। उन्हों ने अपने बेटे को नसीहत करते हुये फर्माया:–

तर्जमा :– और अपने गाल न फुला लोगों के लिये (यानी उन के साथ घमंड के साथ पेश न आ) और जमीन पर इतराता हुआ और अकड़ के न चल। अल्लाह तआला किसी घमंड और तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता और अपनी रफ़्तार (गति) में एतिदाल (संतुलन) पैदा कर और अपनी आवाज नीची रख (यानी अहंकारों की तरह गरज कर न बोला कर) आवाजों में सब से बुरी गधों की आवाज है।

(लुक़्मान : 18,19)

बिलाशुबह इन आयतों में तवाजो का बहुत ही जामे (संतलित) और बड़ा ही असर डालने वाला सबक (पाठ) है:–

फ़हल् मिं म्मुद्दकिर? क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है?

(क़मर : 15)

क़ुरआने–मजीद में तवाजो की ताकीद रसुलुल्लाह सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम की जाते–ख़ास को मुखातब बना कर (संबोधित करके) भी की गयी है, ताकि समझ लिया जाये कि दुन्या में किसी को चाहे कितनी ही बड़ाई और अज़्मत हासिल हो, उस के लिये ज़रूरी है कि वह अल्लाह के बन्दों के साथ तवाजो और फिरोतनी (विनम्रता) से पेश आये, और उन के सामने अपनी बड़ाई का मुजाहिरा (प्रदर्शन) न करे। दुन्या में फ़जीलत व अज़्मत का सब से बलंद मकाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम को हासिल है, फिर भी आप के व्यक्तित्व को संभोदित करके फर्माया गया है:–

तर्जमा :– और अपने बाजू नीचे करो ईमान वाले बन्दों के लिये (यानी उन के साथ तवाज़ो का बरताव करो।)

(हिज्र : 88)

दूसरी जगह इर्शाद फर्माया गया है:–

तर्जमा :– और झुका दो अपने बाजू उन अहले–ईमान के लिये जिन्हों ने आप की पैरवी इख्तियार की है।

(शुअ़रा : 215)

इन दोनों आयतों से यह भी मालूम हुआ कि तवाज़ो और फिरोतनी उन ही बन्दों का हक है जो साहबे ईमान हों। उन के अलावा जो लोग ईमान से महरूम (वंचित) और कुफ़्र व शिर्क की गंदगियों में मुब्तला है, अगर वे हमारे खिलाफ लड़ाई–झगड़ा करने वाले और हमें तकलीफ पहुँचाने वाले नहीं हैं तो उन के साथ रवादारी (सहिष्णुता) और हुस्ने–अख्लाक और मौके के मुताबिक एहसान व रहम का मुआमला तो किया जायेगा (जैसा कि कुर्आने–मजीद में इस का हुक्म दिया गया है।) लेकिन कुफ़्र व शिर्क की वजह से वे इस बात के पात्र नहीं हैं कि उन के साथ तवाजो से पेश आया जाये। उन के साथ तवाजो से पेश आना गैरते–ईमानी के खिलाफ है। इस लिये कुर्आने–मजीद में तवाजो का हुक्म सिर्फ अहले–ईमान के लिये दिया गया है।

तकब्बुर और गुरूर

जैसा कि ऊपर अर्ज किया गया तवाजो की जिद्द (विरूद्धार्थ) तकब्बुर और गुरूर है। इसलिये तवाजो अल्लाह तआला को जिस कद्र महबूब है, गुरूर और तकब्बुर उसी कद्र मग़ज़ूब (गजब दिलाने वाला) है कुर्आने मजीद में जगह–जगह पर तकब्बुर और तकब्बुर करने वालों पर खुदा का गजब (प्रकोप) होने को जाहिर किया गया है एक जगह इर्शाद हुआ है:–

तर्जमा :– जरूरी बात है कि अल्लाह तआला इन सब के जाहिर व भीतर को जानता है। यकीनी है कि वह तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता।

(नह्ल : 23)

दूसरी जगह इर्शाद है:–

तर्जमा :– यकीनन् अल्लाह ऐसे आदमी को पसंद नहीं करता जो मुतकब्बिर व मग्रूर और अपनी बड़ाई जाहिर करने वाला हो।

(निसा : 36)

एक और जगह फर्माया गया है कि जन्नत उन्हीं बन्दों का घर बनेगी जो दुन्या में बलंद व बाला होने के खाहिश मंद न हों और उन का मिजाज घमंड वाला व अहंकारी न हो। इर्शाद है:–

तर्जमा :– रहने का वह आखरी घर (यानी जन्नत) हम इस को कर देंगे उन बन्दों के लिये जो नहीं चाहते दुन्या में ऊँचा बनना और फसाद (उपद्रव) करना।

(किसस : 83)

इस आयत के इशारे से मालूम हुआ, और तज्रूबा (अनुभव) भी बतलाता है कि दुन्या के सारे फसाद, बड़ाई और ऊँचे होने की खाहिश ही से पैदा होते है, अतएवं तकब्बुर ही सारे फसाद की जड़– बुन्याद है।

तकब्बुर की एक बड़ी नुहूसत (अमंगलता) यह भी है कि वह हक व हिदायत को कबूल करने से भी रोकता है। कुर्आने–मजीद में कितने ही पैगम्बरों के तजकिरे (वर्णन) में बताया गया है कि उन की कौमों के मुतकब्बिरों ने सिर्फ गुरूर व तकब्बुर ही की वजह से उन पर ईमान लाने और उन की पैरवी करने से इन्कार किया।

सूरए नहल में फिर्औन और उन की कौम के बारे में तो सराहत (स्पष्टता) के साथ यहाँ तक फर्माया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन के पास अल्लाह की जो निशानियाँ लेकर आये, उन्हें देख कर उन के दिलों को अगरचे इस का पूरा यकीन हो गया कि यह सब अल्लाह की तरफ से हैं और उन के लाने वाले मूसा (अ0) अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अपनी तकब्बुर

वाली जह्नियत (अहंकारक मनोवृत्ति) की वजह से उन्हों ने जबान से फिर भी इन्कार किया और कुफ्र ही पर कायम रहे। और अंततः अजाबे–इलाही का शिकार हुये।

तर्जमा :– और उन्हों ने अल्लाह की उन निशानियों का इन्कार किया, हालाँकि उन के दिलों ने उन का यकीन कर लिया था (इस हार्दिक यकीन के बाद भी उन्हों ने इन्कार) सिर्फ जुल्म और गुरूर व तकब्बुर की बिना पर किया। फिर देखो कैसा अन्जाम हुआ उन मुफ्सिदीन का।

(अन्नम्ल : 14)

और सूर–ए–स्साफ्फात में जहन्नमियों के एक तबके (वर्ग) का हाल बयान करते हुये उन की बद–बख्ती का सबब यह बयान किया गया है कि:–

तर्जमा :– उन लोगों की आदत यह थी कि जब उन को तौहीद का पैगाम दिया जाता और सिर्फ एक खुदा की परस्तिश को कहा जाता तो वे तकब्बुर की वजह से नाक भों चढ़ाते थे और कहते थे कि क्या हम एक दीवाने शाइर (कवि) के कहने से अपने देवताओं को छोड़ने वाले हैं।

(अस्साफ्फात : 35,36)

और शैतान की मर्दूदियत (खुदा के यहाँ से रद् किये जाने) का बुन्यादी सबब भी कुर्आने–मजीद ने इस गुरूर व तकब्बुर ही को बताया है। कुर्आने–पाक का बयान है कि जब अल्लाह तआला ने उस को हज़रत आदम (अ0) के सामने सज्दा करने का हुक्म दिया तो उसने उस हुक्म की तामील नहीं की। अल्लाह तआला ने उस से पूछा कि:–

तर्जमा :– किस चीज ने तुझे सज्दा करने से रोका, जबकि मैं ने तुझे हुक्म दिया था? उसने कहा कि:–

तर्जमा :– मैं उस से बेहतर हूँ (और वह मुझ से घटिया है फिर मैं उस को क्यों सज्दा करूँ)।

(अअराफ : 12)

बहरहाल शैतान को उसके गुरूर और तकब्बुर ही ने इस सरकशी और बगावत पर आमादा किया।

तर्जमा :– उस ने हुक्म मानने से इन्कार किया और गुरूर इख्तियार किया, और हो गया काफिरों में से।

(अलबकरह : 34)

घमन्ड ने गिराया अजाजलि को
है फिटकार उस पर सदा की सुनो

हिल्म और दरगुजर

हिल्म और दरगुजर का मतलब यह है कि किसी के तकलीफ पहुँचाने और लड़ाई–भड़काने को बड़े हौसले (दृढ़ता) के साथ और दिल बड़ा कर के सहन कर लिया जाये और बदला लेने और सजा देने की पूरी ताकत रखने के बावजूद उस गलती और कुसूर करने वाले आदमी से किसी प्रकार तअर्रुज न किया जाये। और उस की जहालत और नासमझी को नजर अन्दाज करते हुये उस अपराधी को मुआफ कर दिया जाये। बेशक अख्लाक में इस का बड़ा बलन्द मकाम है। और कुर्आने–मजीद ने उस की बड़ी तर्गीब दी है।

सूरए–आलि–अिम्रान में एक जगह अल्लाह तआला की मग्फिरत और जन्नत और उस की खास मुहब्बत के हकदार बन्दों के औसाफ (सिफतें) बयान करते हुये इर्शाद फर्माया गया है:–

तर्जमा :– वे बन्दे जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं खुशहाली में भी और तंगी में भी और जो पी जाने वाले हैं गुस्से (क्रोध) को और मुआफ कर देने वाले हैं लोगों की गलतियों को। और अल्लाह तआला ऐसे नेको–कार बन्दों से मुहब्बत करता है।

(आलिइम्रान : 134)

और सूरए शूरा में हर जुल्म व जियादती का मुनासिब बदला लेने का कानूनी जवाज (औचित्य) बयान फर्माने के बाद सहन कर लेने और मुआफ कर देने की तर्गीब देते हुये इर्शाद फर्माया गया है:–

तर्जमा :– और जो बन्दे सहन कर लें और मुआफ कर दें तो यह बड़ी अजीमत (पक्के हौसले) और बलन्द हिम्मती की बात है।

(शूरा : 43)

और इसी सूरे के इसी रूकूअ् में चन्द आयतों पहले, आखिरत में अल्लाह के खास इनामों से सर्फराज (सम्मानित) होने वाले अहले–ईमान के औसाफ बयान करते हुये उन का एक खास वस्फ भी बयान किया गया है:–

तर्जमा :– और जब किसी शरारत और बद तमीजी पर उन को गुस्सा आता है, तो वे बदला नहीं लेते बल्कि मुआफ कर देते हैं।

(शूरा : 37)

❑❑

प्यारे नबी की प्यारी बातें

अमतुल्लाह तसनीम

एक नौ उम्र सहाबी का शौक और समझ

हज़रत सहल (र0) बिन सअद (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (स0) की खिदमत में पीने की किस्म की कोई चीज हाजिर की गयी। आपने उससे थोड़ा पिया। आपकी दाहिनी जानिब एक साहबजादे थे और बायें तरफ बूढ़े लोग थे। आपने साहबजादे से फरमाया, क्या तुम मुझको इजाजत देते हो कि मैं उनको दे दूँ। (बूढ़ों की तरफ इशारा)। साहबजादे ने अर्ज किया या रसूलल्लाह! मैं आपके झूटे में अपने सिवा किसी को तरजीह नहीं दे सकता, तो आपने उनके हाथ पर रख दिया। (रावी कहते हैं वह इब्नि अब्बास (र0) थे।) (बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत अय्यूब (अ0) को अल्लाह के अतीयः की कदर

हज़रत अबू हुरैरः (र0) से रिवायत है कि नबी (स0) ने फरमाया, हज़रत अय्यूब (अ0) बरहना गुस्ल कर रहे थे और आप पर सोने की टिडिडियाँ गिर रही थीं। आप उनको अपने कपड़ों में भरने लगे। उनके परवरदिगार अज्जः जल्लः ने पुकारा, अय्यूब! क्या मैंने तुमको इससे गनी नहीं किया। अय्यूब (अ0) ने कहा, हाँ, कसम है तेरी इज्जत की, मैं तेरी बर्कत से मुस्तग्नी नहीं हो सकता।

काबिले रश्क लोग

हज़रत अब्दुल्लाह (र0) बिन मस्ऊद (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, रश्क के काबिल दो आदमी हैं। एक वह जिसे अल्लाह ने दौलत दी, वह बेहतर तरीके पर खर्च करता है। दूसरा वह शख्स है कि अल्लाह ने उसको हिकमत दी, वह उसके जरीये बेहतर फैसला करता है, और लोगों को सिखलाता है।

(बुखारी–मुस्लिम)

हज़रत इब्नि उमर (र0) से रिवायत है कि नबी (स0) ने फरमाया, रश्क दो आदमियों पर करना चाहिए। एक वह शख्स जिसे अल्लाह ने कुर्आन का इल्म दिया; वह उसपर दिन व रात अमल करता है। दूसरा वह जिसे अल्लाह ने दौलत दी, वह उसको रात व दिन बेहतर तरीके पर खर्च करता है।

(बुखारी–मुस्लिम)

गरीब व दौलतमन्द सहाबा की मुसाबकत

हज़रत अबू हुरैरः (र0) से रिवायत है कि गरीब मुहाजिरीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया मालदार बड़े–बड़े दर्जे और बाकी रहनेवाली निअमत ले गये। आपने फरमाया, यह क्या? अर्ज किया, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, वह भी पढ़ते हैं। हम रोजे रखते हैं, वह भी रोजे रखते हैं। लेकिन वह सदका करते हैं, हम नहीं कर सकते। वह गुलाम आजाद करते हैं, हम नहीं कर सकते। आपने फरमाया, मैं तुमको ऐसी बात न बताऊँ कि तुम आगे बढ़ने वालों को पालो, और पीछे रह–जाने वालों से आगे बढ़ जाओ, और बगैर तुम्हारे जैसा किये कोई तुमसे अफजल नहीं हो सकता। अर्ज किया फरमाइए। फरमाया, हर नमाज़ के पीछे तेंतीस–तेंतीस बार सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अक्बर पढ़ लिया करो। यह सुनकर वह चले गये और कुछ दिनों के बाद फिर हाजिर होकर अर्ज किया, मालदार भी वही करने लगे, जो हम करते हैं। आपने फरमाया, यह अल्लाह का फज्ल है, जिसपर चाहता है करता है। (बुखारी–मुस्लिम)

मुसाफिराना जिन्दगी

हज़रत इब्नि उमर (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमने मेरा शाना पकड़कर फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे मुसाफिर या राहगीर। हज़रत उमर (र0) कहा करते थे कि जब शाम हो तो सुब्ह का इन्तिजार न करो और सुब्ह हो तो शाम का इन्तिजार न करो। सेहत में मरज और जिन्दगी में मौत के लिए सामान कर लो। (बुखारी)

वसिय्यत लिखी हुई रखनी चाहिए

हज़रत इब्नि उमर (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को यह मुनासिब नहीं कि उसके पास कोई चीज वसिय्यत के लायक हो और वह दो रातें इस हाल पर गुजार दे कि वसिय्यत लिख कर न रखी हो। (बुखारी–मुस्लिम)

और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि आपने तीन रातें फरमाया। हज़रत इब्नि उमर (र0) कहते हैं जब से मैंने इसको रसूलुल्लाह (स0) से सुना है एक रात भी मैंने बगैर वसिय्यत के नहीं गुजारी।

इन्सान की मिसाल

हज़रत इब्नि मस्ऊद (र0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मुरब्बअ शक्ल की लकीर खींची और उसकी हद से एक और लकीर खींची जो दूसरी हद से बाहर निकल गयी और बीच की लकीर के पहलू में चन्द छोटी लकीरें खीचीं। फिर फरमाया, यह इन्सान है, और जो इसको घेरे हुए है, यह उसकी मौत है। और यह बड़ी जो हद से आगे निकल गयी है यह इन्सान की उम्मीद है। और छोटी लकीरें जो पहलू में हैं यह हादिसात जो इन्सान को नौबत ब नौबत पेश आते रहते हैं। अगर एक मुसीबत ने छोड़ा तो दूसरी ने आ दबोचा। एक आफत से छुटकारा मिला तो दूसरी गले पड़ी। (बुखारी)

❑❑

गर्भपातन की खबर से गर्भ में व्याकुल कन्या अपने मां बाप से संबोधित है।

- इदारा

जान कर यह गर्भ में मेरे है बच्ची पल रही
गर्भपातन हेतु माता तो तुरत ही चल पड़ी
बाप कन्या का भी पापी था यही अब चाहता
आने वाली बच्ची की अब कुछ नहीं थी मामता
बोल सकती थी न पर उस की दशा कहने लगी
अपने बध की सूचना पर जीभ यूं चलने लगी
मेरे पापा ध्यान देकर दें जरा उत्तर मुझे
दादी गर यूं मारी जाती पहले अपने जन्म से
कैसे ये संसार दिखता आप को बतलाइये
बुद्धि गर रखते हैं अपने आप को समझाइये
प्यारी माता आप भी होती हैं कन्या लिंग से
हव्वा और आदम की बेटी बेटियों की लिंग से
ईश ने जब गर्भ में नानी के भेजा आप को
रोक देते गर्भपातन से जो नाना आप को
मेरे पापा ढून्ढते हरगिज़ न पाते आप को
सोचये उस हाल को है कैसा लगता आप को
खौफ़ रब का खाइये हरगिज़ न ऐसा कीजिये
क़त्ल करके मुझको दोज़ख का न सौदा कीजिये
अपने पैरों पर न खुद से यूं कुल्हाड़ी मारिये
रोज़ी लेकर आऊंगी दुन्या में मुझ को लाइये
क्या पता है आपको इंजीनियर की मां बनूं
ये भी सम्भव है कि अच्छे डाक्टर की मां बनूं
ये असम्भव है नहीं नायक को पालूं गोद में
लोक सेवक जो बने और शान्ति लाए देश में
क्या खबर है आप को मैं देश का ज्ञानी जनूं
क्या खबर है आप को मैं राष्ट्रपति की सीट लूं
बअद आदम के नबी जितने हुए किस ने जने
इस जगत के राजा रानी है पता किस ने जने
ऋषियों और मुनियों का आखिर जन्म था कैसे हुआ
फिर अविष्कारक का यां पर किस तरह आना हुआ
कन्याओं का यूंही बध गर यहां होता रहा
सोच लो दुन्या का मेला यां जो था जाता रहा

❑❑

किस्त : 14

कारवाने ज़िन्दगी

आत्म कथा

मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी

नदवे का कानपुर का जल्सः

5,6,7 नवम्बर 1926 की तारीखों में नदवे का सालाना जल्सः कानपुर में था। भाई साहब जो उस समय नायब नाजिम थे, मुझे अपने साथ कानपुर ले गये। और वहीं जल्सः के मेहमानों के ठहरने की जगह हलीम हाई स्कूल (जो अब डिग्री कालेज है) की इमारत में छोड़ आये। भाई साहब मतबके बाद रोजाना आते थे और जल्सों में शिर्कत कर के चले जाते थे। तीन चार दिन तक वहीं बराबर बना रहा। उस समय हिन्दुस्तान की विख्यात शखसियतों को पहली बार देखा। हकीम अजमल खाँ तो सदर ही थे। मौलाना मुहम्मद अली जौहर और मौलाना जफर अली खाँ को पहली बार देखा और सुना। विद्वानों और लेखकों में से मौलाना शाह सुलैमान साहब फुलवारवी, काजी मुहम्मद सुलैमान साहब मंसूरपूरी, मौलाना अबू अब्दुल्ला मोहम्मद सूरती, डाकटर जाकिर हुसैन खाँ शेखुलजामिया जो बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए, और कितने आलिमों और साहित्यकारों व शायरों का दीदार हुआ। किसी किसी से बात करने की भी नौबत आई। मैं अरब साहब की तालीम व तरबियत (शिक्षा–दीक्षा) के फैज (उपकार) से अरबी बोलने लगा था। कुछ मेरा बेजरूरत अरबी बोलना, कुछ मेरी जर्क बर्क शेरवानी जिस के पूरे ताने बाने में "मलबूसुल आफियः" के खूबसूरत नुकूश चमकते थे, (यह कपड़ा बगदाद का बना हुआ था, और वालिद साहब को किसी ने सूरत में तोहफे में दिया था) कि मैं भी एक आकर्षण केन्द्र बन गया। इस जल्सः में एक मदनी अदीब (साहित्कार) व शायर शेख सअदुद्दीन बर्रादः भी शरीक थे। उन को कभी कभी किसी से रास्ता पूछने और बात करने की जरूरत पेश आती थी तो मैं अपनी टूटी फूटी अरबी से उन की मदद करता। माननीय मेहमानों में मशहूर हो गया कि 12–13 साल का एक लड़का यहाँ आया हुआ है जो बेतकल्लुफ अरबी बोलता है। डाकटर जाकिर हुसैन खाँ मरहूम ने जो नये नये जर्मनी से आये थे, उन्हों ने और मौलाना अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद सूरती साहब ने मुझे देखने की इच्छा की, और अपने कमरे में बुलाया। मुझ से इम्तेहानन कुछ सवाल भी किये और मैं ने अपनी समझ के मुताबिक जवाब दिया।

कानपुर के इस जल्सः का वर्णन देखा मालूम हुआ कि इस में मीर गुलाम भीक नैरंग (अंजुमन तब्लीगुल इस्लाम अंबाला के संस्थापक) डाक्टर सैफुद्दीन किचलू, मौलाना अहमद सईद साहब, मौलाना अब्दुर्रहीम साहब (रेवाड़ी) मुफती अनवारूल हक साहब (शिक्षा निर्देशक, भोपाल), खान बहादुर मोल्वी बशीरुद्दीन साहब एडीटर "अलबशीर" इटावा और मौलाना अब्दुल माजिद साहब दरियाबादी एडीटर "सच" भी शरीक थे। यह सब हिन्दुस्तान के नामवर लोगों में थे, इस लिये कुदरतन इन सब पर नजर पड़ी होगी और इन में से अनेक लोगों की तकरीर भी सुनी होगी।

उस समय का माहौल और दिलचस्पियाँ

बाजार झाऊलाल के इस दो बार कयाम के जमाने में (1926–1928) मुझे हाकी खेलने का शौक क्या लत हुई। पास ही रोशनुदौला कचेहरी के पीछे राजा नवाब अली रोड पर एक खुला मैदान था जहाँ अब स्टेट रेडक्रास सोसाईटी की इमारत है, वहाँ एक कलब कायम था उसमें मैं और भाई अबूबक्र (मोल्वी सैयद अबूबक्र हसनी एम0ए0 सहायक प्रोफेसर नेहरू यूनीवर्सिटी जो मेरे चचा ज़ाद भाई और बचपन के साथी हैं) खेलने जाने लगे। अबू बक्र शुरू

से हाकी के अच्छे खेलने वालों में थे, और बाद में तो वह लखनऊ यूनीवर्सिटी के मुमताज खिलाड़ियों, और टूर्नामेन्ट में हिस्सा लेने वाली टीम के मुमताज खिलाड़ियों में शुमार होते थे। मैं औसत दर्जे के खेल से आगे न बढ़ सका। इस में मेरी उस बे वक्त अकलियत को भी दख्ल था जो खेल की आत्मा के घोर विरोधी और इसमें तरक्की करने में रूकावट है, अर्थात–गोल करने न करने और जीतने, न जीतने के महत्व और जोश की कमी। इस कलब में आने जाने से मुझे (जिसका जमाना अभी तक तकिया के माहौल या भोपाल हासउ की फिजा में गुजरा था) बावजूद कमसिनी के अन्दाजा हुआ कि स्कूलों, कालेजों और मुहल्लों का माहौल और उस समय का मुस्लिम समाज कितना फासिद (विकृत) हो चुका है। इस कलब में ज्यादातर करीब के महल्ला पीर जीलील और गोला गंज के नवजवान और लड़के शरीक होते थे, जिन में एक तादाद शिया सुन्नी लड़कों और एक तादाद क्रिश्चियन लड़कों की भी थी। मैं उन की जबान से ऐसे शब्द निकलते हुए सुनता था जो नैतिक बिगाड़ और समाज के फसाद व विकार का पता देते थे। बाज अवकात वह हम दोनों को आता हुआ देख कर खामोश हो जाते थे, फिर भी कान में उन की बातें पड़ती रहती थीं। मेरी उम्र का यह जमाना जो अरबी शब्दावली में "मुराहकः फिक्री व जिस्मानी" का जमाना था, अल्लढ़पन का जमाना था,

ख्वाजा अब्दुल हयी साहब फारूकी से लाभान्वित होना

इसी जमाने में भाई साहब के बुलावे पर उन के सहपाठी और दोस्त ख्वाजा अब्दुल हयी साहब फारूकी तफसीर के उस्ताद जामिया मिल्लिया, का लखनऊ आगमन हुआ, और हमारे घर ठहरे। भाई साहब के कहने पर उन्हों ने मुझे आखिरी पारा की कुछ सूरतें पढ़ाईं। यह मेरा मौलाना उबैदउल्ला साहब सिन्धी की तफसीर की शैली और चिन्तन से पहला परिचय था, जिस की वजह से मैं ने हज़रत मौलाना अहमद अली साहब के दर्स (क्लास) में (जिसका सौभाग्य मुझे तीन चार साल के बाद प्राप्त होने वाला था) अजनबियत महसूस नहीं की।

ख्वाजा अब्दुल हयी के नाम बड़ी संख्या में अखबार व पत्रिकायें आते थे। उन का सत्संग भी मालूमात को बड़ा बढ़ावा देने वाला और लाभदायक था। इसी जमाना में मौलाना जफर अली खाँ के विश्वविख्यात अखबार "जमींदार" विशेषकर इस के सन्डे एडीशन से दिलचस्पी पैदा हुई। हफ्तः भर मुझे इसका इन्तेजार रहता। मौलाना की नज्म जो प्रथम पेज पर होती थी, मजे ले लेकर पढ़ता। भाई आफताब अहमद (जो अब हकीम अब्दुल कवी साहब, एडीटर "सिद्दक" के नाम से विख्यात हैं) मौलाना अब्दुल माजिद साहब दरियाबादी के भतीजे भी अरब साहब के यहाँ पढ़ने आने लगे थे, वह खानदानी तौर पर मौलाना मुहम्मद अली के प्रशंसक और फिदाई थे और मैं मौलाना जफर अली खाँ का हामी और वकील। अरब साहब के मकान की दक्षिणी दीवार के नीचे खड़े होकर हम लोग देर तक मुनाजरः (शास्त्रार्थ) और वाद–विवाद करते।

इसी जमाना में हम को हाकी और फुटबाल के मैच और टूर्नामेन्ट देखने का शौक क्या सौदा पैदा हुआ। उस जमाने में बी0वाई0 ग्राउँड पर जो छतर मंजिल के सामने नदी के दूसरे पार नदवा के रास्ते में पड़ती थी, बड़ी धूम धाम के टूर्नामेन्ट होते थे जिस में राम लाल कप के टोर्नामेन्ट खास तौर पर मशहूर थे। हम लोग प्रातः काल से उस की प्रतीक्षा में रहते थे। और वहाँ से आकर देर तक खेलने वालों पर तब्सरः (विवेचना) होता। मुझे अब खूब अन्दाजा होता है कि ऐसे शौक (बेनुकसान होने के बावजूद) शैक्षिक तनमयता और मानसिक एकाग्रता पर कितने असर अन्दाज (प्रभावशील) होते हैं।

मौलाना सैयद तल्हा साहब से इल्मी फायदा

इस जमाने में खास तौर से जब रायबरेली में होते, चचा मोहतरम मौलाना सैयद तल्हा साहब से पढ़ने की नौबत आई। वह ग्रामर के उस्ताद

ही नहीं इमाम थे, और खास तौर से इस का अभ्यास करने में उन को बड़ी महारत हासिल थी। सही इबारत पढ़ने और ग्रामर के नियमों के दिमाग का हिस्सा बन जाने में उन का बड़ा दख्ल था। वह उच्चारण और ग्रामर की गल्ती माफ नहीं करते थे, और कई कई दिन तक उस पर व्यंग करते और चुटकियाँ लेते रहते जिस की वजह से बड़ा चौकन्ना और होशियार रहना पड़ता था। अरबी भाषा और ग्रामर के अलावा उन से और बहुत से इल्मी फायदे हासिल हुए। और जेहनी तरबियत हुई मैं "पुराने चिराग" भाग एक में विस्तार के साथ उनके उन समकालीन बाकमाल लोगों पर लिख चुका हूँ जिन में उन का विशिष्ट स्थान था।

यह वह जमाना था कि किसी किस्म का दीनी जौक (अभिरूचि) और किसी बुजुर्ग की सुहबत हासिल न थी, न भाषण साहित्य या खेल के अलावा किसी चीज से जौक या दिलचस्पी थी। न शहर में कोई दीनी दावत या तहरीक थीं जिस से कुछ इस्लाह व तरबियत और दीनी मश्गूलियत होती। कभी शहर में मौलाना मुहम्मद अली कभी मौलाना आजाद की आमद के सिलसिले में सियासी और कौमी जल्से होते। उसी जमाने में इन दोनों हजरात (महानुभावों) और मौलाना जफर अली खाँ को देखने और सुनने का मौका मिला। (जारी)

❑❑

इस्लाम दुश्मनी का स्रोत साहित्य

मो० वाज़ेह रशीद हसनी **एम० हसन अंसारी**

"योरोप के RENAISSANCE AGE [1]में ओरियंटलिस्ट्स[2] (जिस में विलियम म्योर, वाशिंग्टन आरविंग, ए0जे0 आर बेरी, फिलिप हिट्टी, मारगोल्यूथ आदि पहले नम्बर पर हैं) ने मुसलमानों के गल्बः के जामने में इस्लाम के खिलाफ जहरीले विषय वस्तु से भरी किताबें लिखीं। सम्राजी दौर में मुस्लिम मुल्कों की संस्थाओं में वही जहरीला लिट्रेचर पाठयक्रम में दाखिल किया गया। सीरते नबवी पर काम करने वाले लेखकों ने और खुद मुस्लिम सीरत निगारों और इतिहास कारों ने इन किताबों को शोध कार्य समझ कर विश्वसनीय समझा, हालांकि जरूरत थी कि इन की समालोचनात्मक समीक्षा की जाती, जिस की वजह से योरोप के साथ साथ खुद इस्लामी दुनिया में सीरते नबवी के तअल्लुक से ग़ल्त तथ्य व मालूमात आम हो गयीं और मुस्लिम शिक्षित वर्ग इसे से प्रभावित हुआ।

ओरियन्ट लिस्ट्स ने यह किताबें ऐसे समय में लिखीं जब कि पूरी दुनिया पर मुसलमानों को सियासी ग़ल्बः हासिल था और दूसरी तरफ योरोप अज्ञानता व गुमराही से निकलने की कोशिश कर रहा था और मुस्लिम विजेताओं का रोब व दबदबः उस पर छाया हुआ था, इस के साथ साथ योरोप खानाजंगी से भी दोचार था। सौ सालः, तीस सालः, दस सालः और तीन सालः युद्ध योरापीय खाना जंगी की सुस्पष्ट मिसालें हैं जिन में लाखों लोगों का कत्ले आम हुआ और इस की वजह से जीवन में निराशा आम हो गयी। इस के साथ साथ मुस्लिम विजेताओं की सफलताओं और इस्लामी सभ्यता के उत्थान को देख कर योरोप एहसासे कमतरी का शिकार हो गया था। और जिस के नतीजे में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कीना व हसद (ईर्ष्या–देष), बुग़्ज़ व दुश्मनी पैदा हो गयी।"

(1) कला तथा ज्ञान का पुनर्जागरण।

(2) पूर्वी देशों की भाषा, धर्म और संस्कृति व सभ्यता के मर्मस विद्वान; उर्दू, फारसी, संस्कृत और इस्लाम के महान स्कालर्स।

❑❑

पहली किस्त

मुसलमानों के आपसी हुकूक (अधिकार)

अल्लामा सैयद सुलैमान नदवी रह०

अनुवादः नजमुस्साकिब अब्बासी गाजीपुरी

हज़रत मुहम्मद सल्लाहु अलैहि व सल्लम के दुनिया में आने से पहले अरब का बच्चा–बच्चा एक दूसरे के खून का प्यास और एक कबीला दूसरे कबीले का शत्रु था। एक–एक खून का बदला कई–कई नस्लों तक जाकर लेते थे। इस प्रकार खानदानों में लड़ाइयों का एक न रूकने वाला क्रम जारी था। हर व्यक्ति अपनी जगह पर अपने को सदैव खतरों में घिरा हुआ पाता था और उठते–बैठते, सोते–जागते, चलते–फिरते हर समय चौकन्ना रहता था कि कोई उस पर हमला न कर बैठे।

हज़रत मुहम्मद सल्लाहु अलैहि व सल्लम जब आए तो अपने साथ खून के रिश्ते से बढ़कर एक और रिश्ता लाए और वह धार्मिक बंधन था जिसने मुद्दत के बिछड़ो को मिला दिया। दुश्मनों को भाई–भाई बना दिया। खानदानी व कबाइली सम्बन्धों को छोड़ कर इस्लामी बिरादरी को बरीयता देने का जज्बा उनके अन्दर पैदा कर दिया। जिसने इस प्रकार उनकी हर किस्म की शत्रुता का अंत कर दिया और परस्पर (बाहमी) शत्रुता को उनके दिलों से ऐसा भुला दिया कि वह हकीकत में भाई–भाई हो गए, अल्लाह तआला ने फरमाया, अनुवाद "ऐ मुस्लमानों! खुदा से डरो, जैसा कि उससे ड़रने का हक है और न तुम मरो लेकिन मुसलमान, और खुदा की रस्सी सब मिलकर मजबूती से पकड़े रहो और टुकड़े–टुकड़े न हो और तुम अपने ऊपर अल्लाह के उपकार को याद करो कि तुम दुश्मन थे तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया फिर तुम भाई–भाई हो गए"

(सुरहः आलेइमरान)

मुसलमानों के इस परस्पर मेल–मिलाप और प्रेम को अल्लाह ने अपनी विशेष कृपा दया प्रदर्शित किया और इर्शाद फरमाया कि अगर कोई जमीन का सारा धन भी लुटा देता तो उन दुश्मनों को परस्पर मिला कर एक नहीं कर सकता था, अनुवाद "और खुदा ने मुसलमानों के दिल मिला दिये, अगर तू जमीन में जो कुछ है सब खर्च कर देता, तब भी तू उनके दिलों को मिला न सकता, लेकिन अल्लाह ने मिला दिया, निःसन्देह वह (हर मुश्किल) पर भारी आने वाला और उद्देश्य जानने वाला है।"

(सुरहः अनफाल)

मुसलमानों को चाहिये कि अल्लाह की इस कृपा दया की कद्र करें और सब मिल कर अल्लाह के धर्म की रस्सी को मजबूती से पकड़ें और परस्पर विभिन्नता पैदा करके टुकड़े–टुकड़े न हो जाएं, क्योंकि इस रस्सी की मजबूती उसी समय तक है जब तक सब मिलकर उसको पकड़े रहें फरमाया! अनुवाद "और अल्लाह और रसूल (संदेष्टा) का कहा मानो, और आपस में झगड़ा न करो (कि ऐसा होगा तो हिम्मत हारोगे) और तुम्हारी हवा उखड़ जाऐगी" (सुरह : अनफाल)

यही परस्पर एकता इस्लाम धर्म को इमारत का स्तंभ और मुसलमानों की जमाअत का बन्धन हो। इस बन्धन की मजबूती का परिणाम ये होना चाहिये कि मुसलमानों में परस्पर प्रेम व भाई–चारगी हो। सब अगर संयोग से उनमें किसी बात पर विभिन्नता आ जाए तो उसको दूर करने की सूरत ये है कि दोनो अल्लाह और रसूल के आदेश की ओर रूख़ करें, अनुवाद "तो अगर तुम मुसलमानों में किसी बात में झगड़ा हो तो उसको अल्लाह और रसूल की ओर लोटा दो" (सुरह : निसा)

अगर ये झगड़े बढ़ते–बढ़ते युद्ध तक पहुँच जाऐं तो मुसलमानों का कर्तव्य है कि जो गिरोह अत्याचारी हो सब मिलकर उससे लड़ें और उसको समझौते पर विवश करें और जब राजी हो जाए तो इन्साफ से उनमें समझोता करा

दें। अनुवाद "अगर मुसलमानों के दो गिरोह लड़ पड़े तो उनमें समझोता करा दो, फिर अगर एक दूसरे पर अत्याचार करे तो अत्याचार करने वाले से लड़ो, यहाँ तक कि वह अल्लाह के आदेश की ओर रूख़ करे, तो अगर रूजूअ (प्रत्यागमन)कर ले तो उनमें इन्साफ के साथ समझोता करा दो, अल्लाह न्यायधीशों को दोस्त रखता है, मोमिन (मुसलमान) आपस में भाई–भाई ही हैं तो अपने दोनों भाइयों के बीच समझोते करा दो।"

(सुरह : हुजरात)

आयत के अन्तिम टुकड़े ने बताया कि आपस में मुसलमानों के बीच भाई–भाई का रिश्ता है, ये रिश्ता युद्ध और रक्तापात (खूंरेजी) के बाद भी नहीं कटता उन्हीं आयतों के तहत में वह हदीस् है जिसमें हज़रत मुहम्मद (सल्ल0) ने फरमाया! "तुम अपने भाई की सहायता करो चाहे वह अत्याचारी हो या उत्पीड़ित (मजलूम)" (बुखारी) सहाबा रजि0 ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! अगर वह पीड़ित है तो उसकी सहायता की जा सकती है लेकिन अगर वह अत्याचारी है तो उसकी सहायता क्यों कर की जाए? फरमाया इस प्रकार कि उसके हाथों को अत्याचार से रोका जाए।

कैसा ही बड़ा काफिर (अल्लाह को न मानने वाला) और जानी दुश्मन हो जिस समय उसने कल्मा शहादत पढ़ा और इस्लामी कानून को स्वीकार किया तो सहसा वह हमारा मजहबी भाई हो गया, अल्लाह ने फरमाया! "तो अगर ये काफिर (कुफ्र) से पश्चात्ताप (तौबा) करलें और नमाज़ काइम करें और जकात दें तो वह तुम्हारे धार्मिक भाई हैं" (सुरह : तौबा) गुलाम भी अगर कल्मा पढ़ कर मुसलमान हो जाए तो वह इस्लाम के रिश्ते में दाखिल हो गया। अगर उसके बाप का नाम व वंश नहीं मालूम तो कोई बात नहीं वह धार्मिक सम्बन्धों से हर मुसलमान का भाई है, फरमाया! अनुवाद "तो अगर तुम उनके बापों के नाम न जानो तो वह तुम्हारे मज़हबी भाई हैं और दोस्त।"

(सुरह : अहजाब)

एक मुसलमान किसी मुसलमान की हत्या कर दे तब भी अल्लाह मकतूल (बधित) के रिश्तेदारों को हत्यारा का भाई करार देकर उनके अन्दर दया भावना को बढ़ावा देता है, इर्शाद होता है, अनुवाद! "तो अगर हत्यारे को उसके भाई की ओर से माफ कर दिया जाए।" (सुरह : बकरह) एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की गीबत (पीठ पीछे शिकायत) हराम है क्योंकि अनुवाद! "क्या तुम में कोई पसन्द करेगा कि वह अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए।"

(सुरह : हुजरात)

अनाथों के माल की देखभाल और अच्छे ढंग से प्रबंध–व्यवस्था करना अभिभावकों का कर्तव्य है। अगर वह उनको अपने अन्दर शामिल करके नेक–नियती के साथ उनको अपने परिवार अंश बनालें और मिल–जुल कर खर्च करें तो ये भी उचित है क्योंकि ये उनके भाई हैं जिनकी खैरख्वाही उनका कर्तव्य है फरमाया, अनुवाद! "और अगर तुम उनको अपने में मिला लो तो ये भी उचित है क्योंकि वह तुम्हारे भाई हैं।" (सुरह : बकरह) एक मुसलमान भाई का दूसरे भाई पर ये भी हक है कि वह एक दूसरे के हक में अच्छाई की दुआ (प्रार्थना) करें, वह यूँ कहते है। अनुवाद! "ऐ हमारे पालनहार, हमको और हमारे उन भाईयों को जो हम से पहले आस्था (ईमान) लाए क्षमा कर।" (सुरह : हश्र)

एक मुसलमान के दिल में दूसरे मुसलमान की ओर से वैमनस्य (कीना) होना ऐसी बुराई है जिसके दूर करने के लिये अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी चाहिये, और कहना चाहिये : अनुवाद! "और हमारे दिलों में मुसलमानों की ओर से कीना मत रहने दे, ऐ हमारे पालनहार तू दयावान और दयालू है।" (सुरह : हश्र) मुसलमानों की ये विशेषता है परस्पर (बाहम) वह एक दूसरे से दया के साथ पेश आते हैं अल्लाह ने प्रशंसा की है, अनुवाद! "वह (मुसलमान) आपस में दया रखते हैं।" (सुरह : फतह) मुसलमान की ये विशेषता होनी चाहिये कि दूसरे मुसलमान से झुक कर मिले और नर्मी का व्यवहार करे, अनुवाद! "मुसलमानों से झुकने और नर्मी करने वाले।" (सुरह : माईदह)

शेष अगले अंक में।

❑❑

किस्त : 4

जगनायक

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

मौलाना मुहम्मद राबे हसनी

अनुवाद मु० गुफरान नदवी

बनी इसराईल मिस्र और शाम (सीरिया) में आबाद थे, उनके बिगाड़ के हालात एक तरफ यह थे, दूसरी तरफ दुनिया के विभिन्न भागों में जो कौमें आबाद थीं वहाँ भी अल्लाह तआला को छोड़कर या उसके साथ दूसरे बहुत से मअबूद (ईश्वर) बना लिये गए थे और उनमें भी नाना प्रकार की बुराइयाँ फैल गई थीं और यह सब कौमें शिर्क, कुफ्र, जुल्म और अखलाकी (नैतिक) बिगाड़ में डूब गई तो अल्लाह तआला को बहुत नाखुशी हुई और उसने कुछ समय के लिये नबियों को भेजने का लिसिला रोक दिया, और शायद यह देखना चाहा कि इन्सान अपने को नफ़्स परसती (इच्छा भक्ति) और जानवरों जैसी जिन्दगी को मनमाने ढंग से गुजारने में कहाँ तक जाता है, इसी लिये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बअद छः सौ साल तक अल्लाह तआला ने कोई नबी नहीं भेजा और इन्सानों को गिरावट में जाने दिया इन छः सौ सालों में पूरी इन्सानियत बहुत बुरी आदतों तक पहुँच गई, और बड़ी काबिले नफरत (घृणा योग्य) बन गई, करीब था कि रब्बुल आलमीन (विश्व पालक) इसकी सजा में इन्सानों की नस्ल (वंश) खत्म कर दे, जैसा कि बुखारी शरीफ की एक हदीस से जाहिर (स्पष्ट) होता है:– "अल्लाह तआला ने जमीन वालो पर नज़र दौड़ाई तो उसको उनसे नफरत हुई, अरबों से भी और गैर अरबों से भी, अलावा कुछ बचे खुचे अहले किताब के।"

लेकिन रब्बुल आलमीन (विश्व पालक) की दया उसके क्रोध पर गालिब रही और उसने उनको समझाने का एक मौकअ (अवसर) फिर अता फरमाया (प्रदान किया) और उसके लिये सबसे जियादा खूबियों और सलाहियतों (योग्यताओं) वाला नबी भेजा, यह हमारे आका मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम थे, उनके मबऊस (अवतारित) किये जाने का इशारा (संकेत) पिछले नबियों पर उतारी जानी वाली आसमानी किताबों अर्थात तौरैत और इनजील में भी पहले से ही कर दिया गया था कि सब नबियों की उम्मतों के बअद सारी दुनिया में जब बुराइयाँ बहुत बढ़ जाएंगी और इन्सानो की अखलाकी और दीनी सतह बहुत गिर जाएगी और खुदा की नाफरमानी आख़िरी (अन्तिम) दर्जे पर हो जाएगी तो इन्सानों के सुधार के लिय आख़िरी बार और जियादा मुकम्मल सिफात (पूर्ण विशेषताओं) का नबी भेजा जाएगा, और उसकी खबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अहमद के नाम से दे दी गई थी, फिर उसके मुताबिक (अनुसार) उस बूलन्द मरतबा (महान श्रेणी) नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से छः सौ साल बअद मशरिके वुस्ता (मध्य पूर्व) की अनपढ और असम्य कौम अरब की सबसे बेहतर नस्ल (वंश) से उठाया, यह कौम अरब द्वीप की सख्त दुश्वार गुजार (दुर्गम) सर जमीन में सीमित और इस तरह दूसरी कौमों के प्रभाव और शहरी खराबियों से सुरक्षित थी, उनमें नागरिकता नहीं थी परन्तु स्वाभाविक हालत में थे, उनके दिल व दिमाग दूसरी कौमों के असरात (प्रभाव) से खाली थे, और बड़ी जिम्मेदारियों के उठाने के लाएक (योग्य) थे उनको सिर्फ अरबों का ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया की हिदायत (मार्ग दर्शन) की जिम्मेदादी सुपुर्द करने का फैसला (निर्णय) किया गया।

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस जिम्मेदारी को फिक्र तवज्जुह (चिन्ता, ध्यान) और मेहनत से अनजाम दिया, जिससे हालात में जबरदस्त सुधार आया, और इस तरह पूरी इन्सानियत जो सारी की सारी अपने खालिक (पैदा करने वाले) और मालिक अल्लाह तआला के नाराज होने पर अजाबे इलाही का शिकार हो सकती थी, बच गई और इन्सानियत की तारीख (मानवता इतिहास) में एक नया दौर शुरू हुआ और एक ऐसा इन्सानी समाज वजूद में आया जो

नमूने का और इन्सानों की रहबरी (मार्ग दर्शन) की खिदमत अनजाम देने की सलाहियत रखने वाला बना और दुनिया तबाह होने से बच गई हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ऐसी खुसूसियात (विशेषताएं) योग्यता और सिफात (गुण) प्रदान किये गए कि वह सारे जहानों के लिये रहमत (कृपा, दया) साबित हुवे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने परवरदिगार (पालनहार) के आदेशानुसार अद्मुत ज्ञान, उचित उपाय से काम लिया, और अल्लाह तआला ने विशेषरूप से सहयाता की जिसकी वजह से कम समय में एक ऐतहासिक क्रान्ति आ गई जो अरब से शुरू होकर सारी दुनिया में पहुँची, इन्सानों की वह जिन्दगी जिस को अल्लाह ने नापसन्द किया था और जिससे नफरत (घृणा) जाहिर की थी, वह जिन्दगी बदल कर इतनी अच्छी ज़िन्दगी हो गई कि अल्लाह उस जिन्दगी से प्रसन्न हो गया, और ऐसे लोगों के लिये जिन्हों ने एक अल्लाह की बन्दगी का रिकार्ड कायम कर दिया, यह फरमाया "अल्लाह उनसे राजी हुआ और वह अल्लाह से राजी हुए।

नबी का काम और पैगाम

हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तक जितने नबी आए सबने शिर्क (अनेकेश्वर वाद) छोड़ने और तौहिद (एकेश्वर वाद) पर चलने का सख्ती से हुक्म दिया। इसलिये कि अल्लाह तआला जो इस पूरी दुनिया का पैदा करने वाला और इस दुनिया में हर तरह की जरूरत का सामान रखने वाला और उस सामान को इन्सान के इस्तेमाल (प्रयोग) के लायक बनाने वाला और सरलता पूर्वक उसको पहुंचाने वाला है, इन्सान उससे भरपूर फाइदा उठाता है, और उसकी जिन्दगी उस पर निर्भर है तो क्या उस अल्लाह के एहसान को भुला दें और उसको छोड़कर इधर उधर की चीजों को जिनसे उसको फाइदा या नुकसान का खतरह महसूस होता है, एखतियार करलें और अपनालें और यह कहने लगें कि हमारी मदद तो फुलाँ करता है, और हमारी जरूरत तो फुलाँ पूरी करता है, और फुलाँ चीज हम पर एहसान करती है और जो एहसान खालिस (केवल) उसके खालिक (पैदा करने वाले) और मालिक अल्लाह तआला का है वह उसको दूसरों का बताता और उससे अपनी जरूरत माँगता है और अस्ली (वास्तविक) मुहसिन (उपकारी) जो सबसे बड़ा और सब तरह का एहसान करने वाला है, उसको छोड़कर उसके साथ दूसरी छोटी चीजों को अपना मुहसिन (उपकारी) और मालिक कहता है तो बात बिल्कुल स्पष्ट और साफ है कि अल्लाह जिसने सब कुछ बनाया और सब कुछ दिया और बराबर देता है कैसे वह इस बात की इजाजत (अनुमति) देगा और नाराज न होगा, इसलिये अल्लाह तआला को सबसे जियादह नाराजी शिर्क (साझेदारी) से होती है और यह बात बिल्कुल बरहक़ और सत्य है।

इसलिये सारे नबी और मुसलिहीन (सुधारक) ने सबसे पहले और सबसे जियादह शिर्क (अल्लाह के साथ दूसरों को साझेदार बनाना) से रोका, फिर उसके साथ इन्सान के किरदार और अखलाक (चरित्र और आचरण) में जहाँ–जहाँ बिगाड़ पैदा होता उसके सुधार और इसलाह की दअवत देते रहे, जैसे किसी आबादी (जनसमूह) में शिर्क के साथ जिन्सी बदअखलाकी (यौन संबन्धी बिगाड़) या दूसरी बुराइयों से मना किया, किसी आबादी में शिर्क के साथ नाप तौल में गड़बड़ करने की आदत आम हो गई थी, जैसे कौमे मदयन में, उनके नबी ने इस बुराई से मना किया, किसी आबादी में शिर्क के साथ घमन्ड और कमजोरों पर जुल्म करने की आदत आम हो गई थी। जैसा कि कौमे फिरऔन मिस्र में, वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मुकर्रर (नियुक्त) किया गया, उन्होंने फिरऔन को बहुत समझाने और अल्लाह तआला के अजाब (प्रकोप) से डराने की कोशिश की और उस शिर्क व जुल्म से रोका, किसी आबादी में शिर्क के साथ कमजोरों को सताने और दूसरों का हक मारने का शौक हो गया था वहाँ के नबी ने उसको उससे भी रोका, और इसी तरह शिर्क (अनेकेश्वर वाद)के साथ दूसरे जो जो ऐब (दोष) होते, नबी तौहिद खालिस अर्थात तनहा अल्लाह तआला पूरी दुनिया और मखलूक (सृष्टि) का अकेला परवरदिगार (पालनहार) है, सिर्फ उस की इबादत उपासना की दअवत (निमत्रण) के साथ उसकी दूसरी खराबियों से भी रोकते थे।

(जारी)

आख़िरत के मराहिल

मौलाना मुजीबुल्लाह नदवी

आख़िरत की ज़िन्दगी (मरणोपरांत जीवन) के दो अहम मरहले हैं, एक क़ब्र की ज़िन्दगी से दोबारा उठाए जाने तक, दूसरा मरहला दोबारा उठाए जाने के बअ्द मैदान हश्र में जमा होने और हिसाब व किताब के बअ्द जन्नत या दोज़ख़ में दाख़िल होने तक, पहले मरहले को क़ब्र की या बरज़ख़ की ज़िन्दगी कहते हैं और दूसरे मरहले को क़ियामत कहते हैं।

पहला मरहला बरज़ख़

बरज़ख़ उस जगह को कहते हैं जहां आदमी के मरने के बअ्द उस की रूह (प्राण) रहती है और जहां शुरूअ़ में उस से कुछ सुवालात भी होते हैं। आख़िरत की अस्ल ज़िन्दगी तो हिसाब व किताब के बअ्द जन्नत या दोज़ख़ का फ़ैसला हो जाने के बअ्द शुरूअ़ होती है, मगर यह क़ब्र का पहला मरहला बरज़ख़ का बहुत सख़्त होता है और यहीं से उस की कामयाबी व नाकामी के आसार (चिन्ह) शुरूअ़ हो जाते हैं। इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हर नमाज़ के बअ्द उस से अल्लाह की पनाह मांगते थे (बुख़ारी व मुस्लिम) और सहाब–ए–किराम को इस की तरग़ीब दिया करते थे (मिश्कात) आप ने एक बार क़ब्र की हौलनाकी (भयानकता) पर ख़ुत्बा (भाषण) दिया तो सुनने वाले सारे लोग चीख़ उठे (मिश्कात) हज़रत उ़स्मान (रज़ि0) जब किसी क़ब्र के पास खड़े होते तो फूट–फूट कर रोते, लोगों ने सबब पूछा तो फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि:–

क़ब्र आख़िरत की पहली मंज़िल है अगर इस में नजात मिल गयी तो अगला मरहला आसान है और अगर इस में कामयाबी न मिली तो अगला मरहला और ज़ियादा सख़्त है। (मिश्कात)

मुसलमान चूंकि अपने मुर्दों को क़ब्र ही में दफ़्न करते हैं इस लिये क़ब्र की ज़िन्दगी की थोड़ी कैफ़ीयत लिखी जाती है।

क़ब्र की ज़िन्दगी की शुरूआ़त उसी वक़्त से हो जाती है, जब आदमी पर सकरात (मौत की तक्लीफ़) का आ़लम या जांकनी तारी होती है। जब आदमी पर यह कैफ़ीयत तारी हो जाती है तो न उस वक़्त का ईमान मुअ़तबर है न तौबः, जब आदमी मर जाता है और लोग उस को दफ़्न कर के चले आते हैं तो उन के लौटते ही दो फ़िरिश्ते आ़ते हैं। (लोग लौटें या बैठे रहें थोड़ी देर बअ़द दो फ़िरिश्ते "मुन्कर," "नकीर" आते हैं, इन को नकीरैन भी कहा जाता है) वह अल्लाह तआ़ला के हुक्म से तीन सुवाल करते हैं:–

1–'मन् रब्बुक' तेरा रब कौन है?

2– 'मा दीनुक' तेरा दीन क्या है?

3–'मा हाज़र्रजुल बुअ़िस फ़ीकुम्? यह कौन हैं जो तुम्हारे बीच भेजे गये थे?

एक ईमान वाला पहले सुवाल के जवाब में कहे गा "रब्बियल्लाह" मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सुवाल के जवाब में कहेगा "दीनी अलइस्लाम" मेरा दीन इस्लाम है और तीसरे सुवाल के जवाब में कहेगा "हुव रसूलुल्लाहि (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम)" वह अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन जो ईमान नहीं लाए वह इन सवालों के जवाबात न दे सकेंगे बल्कि उन के मुंह से यह आवाज़ निकले गी "हा हा ला अद्री" हाए अफ़्सोस मैं कुछ नहीं जानता।

जो लोग सहीह जवाब देंगे अल्लाह तआ़ला के हुक्म से फ़िरिश्ते

उन की रूहों को मक़ामे "अ़िल्लिय्यीन" तक पहुंचा देंगे और उन की तरफ़ जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाएंगे। और वह उस की हवाओं और ख़ुशबूओं (सुगन्धों) से लुत्फ़ (आनन्द) लेंगे और जो लोग इन सुवालों के जवाबात सहीह् तौर पर न दे सकेंगे बस "हा हा ला अद्री" कह सकेंगे, अल्लाह तआ़ला के हुक्म से उन की रूहों को फ़िरिश्ते मक़ामे सिज्जीन तक पहुंचा देंगे, उन की तरफ़ जहन्नम के दरवाज़े खोल दिये जाएंगे, क़ियामत तक वह उस में झुलसते रहेंगे सांप बिच्छू उन को डसेंगे, और फ़िरिश्ते गर्म लोहे के हथौड़े से उन को मारेंगे।

जो लोग जला दिये गये जल भुन कर राख हो गये या मछलियों ने खालिया अल्लाह तआ़ला उन के जिस्म के अज्ज़ा (टुकड़ों) को इकट्ठा कर के उस में रूह् डाल कर उन से भी सुवाल करवाए गा।

अल्लाह तआ़ला ने इस दुन्या में भी मुर्दों को ज़िन्दा कर के अपनी क़ुदरत (सामर्थ्य) दिखा दी है क़ुर्आन मजीद में बयान है कि :

या उस शख़्स को देखो जिस का गुज़र एक बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों के साथ गिरी पड़ी थी उस ने कहा कि इन बस्ती वालों को अल्लाह तआ़ला कैसे ज़िन्दा करेगा? अल्लाह तआ़ला ने उसे मौत दे दी और सौ बरस तक मुर्दा पड़ा रहा फिर दोबारा ज़िन्दा किया पूछा कि कितने दिन मौत की ह़ालत में रहे, उस ने कहा एक दिन या आधे दिन, अल्लाह तआ़ला ने कहा कि नहीं तुम, सौ बरस इसी ह़ालत में रहे हो, ज़रा तुम अपने खाने पीने की चीज़ की तरफ़ तो देखो वह सड़ी गली नहीं और अपने गधे को देखो (वह मर कर सड़ गल गया था उस की बोसीदा हड्डियां पड़ी थीं) ताकि हम तुम को लोगों के लिये एक मिसाल (उदाहरण) बना दें देखो हड्डियों को किस तरह हम उन को जोड़ते हैं फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं जब उस पर (मरने के बअ़्द जिन्दा किये जाने की) ह़क़ीक़त ज़ाहिर हो गई तो वह कह उठा कि मैं यक़ीन रखता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर क़ादिर है।

(अल बक़रह : 259)

इस आयत के बअ़्द ही ह़ज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के सुवाल पर अल्लाह तआ़ला ने उन को हुक्म दिया कि चार चिड़यां ज़ब्ह करके उन के टुकड़े मुख़्तलिफ़ पहाड़ों पर डाल दो फिर उन्हें बुलाओ, चुनांचि ह़ज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और चिड़यां ज़िन्दा होकर आ गईं। ह़ज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम ने मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िन्दा कर के दिखाया।

जला कर राख बना देने और समुन्दर में बिखेर देने के बअ़्द ज़िन्दा किये जाने का एक वाक़िआ़ ह़दीस में इस तरह मिलता है :

ह़ज़रत ह़ुज़ैफ़ा फ़रमाते हैं कि मैं ने आँ ह़ज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना आप फ़रमाते थे एक शख़्स मरने लगा और जब ज़िन्दगी से ना उम्मीद हो गया तो अपने घर वालों को यह वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा करना, खूब आग सुलगाना (और मुझ को उस में जला देना) जब आग मेरे गोश्त को खा कर हड्डी तक पहुंच जाए तो उन को लेकर पीसना, फिर जिस दिन ज़ोर की हवा चले उस दिन वह राख समन्दर में उड़ा देना, उस के घर वालों ने ऐसा ही किया, अल्लाह तआ़ला ने उस का सारा बदन इकट्ठा (करके ज़िन्दा) किया और उस से पूछा ऐसा तूने क्यों किया? जवाब दिया आप के डर से पस अल्लाह ने उसे बख़्श दिया।

(बुख़ारी)

ग़रज़ की आदमी चाहे जैसा मरे फ़िरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उस से सुवालात कर के उसे अ़िल्लिय्यीन या जिज्जीन में पहुंचाएं गे जहां वह क़ियामत तक रहेगा।

(जारी)

❑❑

? आपके प्रश्नों के उत्तर ?

– मुहम्मद अब्रार खाँ नदवी

अनुवादक – इदारा

प्रश्न : कभी इन्सान ऐसी हालत में हो जाता है कि वह कहने लगता कि अल्लाह मौत दे दे तो बेहतर है, प्रश्न यह है कि मौत की दुआ करना कैसा है?

उत्तर : अल्लाह ने ज़िन्दगी दी है, और ज़िन्दगी में अच्छी बुरी हालतें आती हैं, हालात अच्छे हों तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिये, अगर हालात अच्छे नहीं है जीवन आनन्द मय नहीं है मानव समस्याओं तथा आपत्तियों में घिरा हुआ है तो सब्र करे और अल्लाह से अच्छे हालात पैदा करने और भलाई की दुआ मांगता रहे, हालात (परिस्थितियों) से मायूस (निराश) हो कर मौत की तमन्ना करना मोमिन की शान नहीं है, मरने की तमन्ना करने से रोका गया है, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने सख़्ती से रोका है, इस लिये कि अगर आदमी नेक व स्वालेह (सदाचारी) है तो अपनी नेकियां बढ़ाए गा और अगर आदमी बुरा है, पापी है तो उस के लिये समय है कि बुराइयों से तौबा करके भलाइयां कर ले, फिर भी अगर कोई हालात से बहुत परेशान है तो यह कह सकता है कि ऐ अल्लाह! अगर ज़िन्दगी मेरे लिये भलाई का सबब है और इस में मेरे लिये भलाई है तो मुझे ज़िन्दा रख और अगर मौत मेरे लिये बेहतर है, भली है तो मुझे इस दुनिया से बुला ले।

हज़रत अनस (रज़ि0) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया कि 'तुम में से कोई तक्लीफ़ों के सबब मौत की तमन्ना न करे, अगर बहुत मजबूर हो जाए तो कहे ऐ अल्लाह अगर मेरी ज़िन्दगी मेरे लिये भलाई का सबब हो तो मुझे ज़िन्दा रख, और अगर मौत मेरे लिये भलाई का सबब हो तो मुझे मौत दे दे।

(बुख़ारी–मुस्लिम)

प्रश्न : एक शख़्स साहिबे निसाब नहीं है अर्थात उस के पास इतना माल नहीं है कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो, लेकिन वह अपनी ज़िन्दगी की ज़रूरतें पूरी कर लेता है, अपने बीवी बच्चों के ख़र्च आसानी से पूरे कर लेता है, क्या ऐसे शख़्स को ज़कात दी जा सकती है?

उत्तर : जो शख़्स साहिबे निसाब न हो उस को ज़कात देना और उस के लिये ज़कात लेना दुरूस्त है। लेकिन जिस के पास इतना पैसा है कि वह अपनी और अपने घर वालो की ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकता है और ज़िन्दगी इतमीनान के साथ बसर कर रहा है, बीवी का नान व नफ़्क़ा और बच्चों और दूसरे घर वाले जिन का रोटी कपड़ा उसके जिम्मे है सब के ख़र्च पूरे कर लेता है उस के लिये उचित यह है कि वह ज़कात न ले कि यह लोगों के मालों का मैल कुचैल है, ज़रूरत के बिना इसे न लेना चाहिये।

प्रश्न : अगर औरत अपने शौहर से यह कहे कि पहले मेरे लिये अलग से मकान का नज़्म करो तभी तुम्हारे यहां आऊंगी, मैं सब के साथ नहीं रह सकती और शौहर का इस्रार है कि सब के साथ रहना होगा, इस तरह कई माह गुज़र गये बीवी अपने वालिदैन के यहां है तो क्या इस मुददत का बीवी का नान व नफ़्क़ा शौहर पर वाजिब होगा?

उत्तर : बीवी की रिहाइश का इन्तिज़ाम शौहर के ज़िम्मे वाजिब है, रहने के लिये मकान यह बीवी

के नान व नफ़्के में शामिल है, जिस का नज़्म (प्रबन्ध) शौहर पर वाजिब है, अगर बीवी शौहर से अलग रहने के लिये मकान या कमरे की मांग करे, या यह कहे कि उसी मकान में अलग कमरे में खाने पीने का नज़्म हो, तो यह बीवी का हक़ है, शौहर को उस की मांग को पूरा करना चाहिये, और मांग पूरी न होने के सबब शौहर के घर नहीं आती है तो उस के लिये ऐसा करना दुरूस्त है। और इस ज़माने के बीवी के तमाम ख़र्चे शौहर के ज़िम्मे होंगे। लेकिन अगर शौहर उसी मकान के एक कमरे में बीवी के रहने का इन्तिज़ाम कर दे फिर भी बीवी न आए तो इस सूरत में बीवी ख़र्चा पाने की हक़ दार न होगी।

प्रश्न : पाखाना पेशाब की हालत में मोबाइल की घन्टी बजे तो बात करना कैसा है?

उत्तर : पाख़ाना पेशाब की हालत में किसी का फ़ून आजाए तो मुबाइल का स्वीच बन्द कर दें। अगर फून ज़रूरी होगा तो वह दोबारा करेगा, या आप खुद इस्तिंजा (पाख़ाना, पेशाब) से फ़ारिग़ हो कर मिला सकता है लेकिन इस्तिंजा की हालत में बात करना मक्रूह (बुरा) है।

(मजमउल अनहार)

प्रश्न : क्या औरत अपने ग़रीब शौहर को ज़कात दे सकती है?

उत्तर : औरत अपने शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। (लेकिन हदीस में है कि हुज़ूर (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हज़रत ज़ैनब ज़ोजा इब्नि मसऊद से फ़रमाया की तुम्हारा शौहर और तुम्हारी औलाद तुम्हारे सदक़े के ज़ियादा मुस्तहक़ हैं।)

(बुखारी)

जिन लोगों ने इस सदक़े से ज़कात समझा उन्हों ने कहा कि चूंकि शौहर का नान व नफ़्का बीवी पर वाजिब नहीं उन्हों ने कहा बीवी शौहर को अगर ग़रीब हो तो ज़कात दे सकती है।

(अनुवादक)

प्रश्न : सिर्फ निकाह हुआ है रूख्सती नहीं हुई है और ना ही मियां बीवी की मुलाक़ात हुई है कि किसी वजह से तलाक़ हो गई तो क्या ऐसी सूरत में शौहर पर महर देना ज़रूरी है?

उत्तर : अगर मियां बीवी की मुलाक़ात (ख़लवते सहीहा) से पहले तलाक़ हो जाए तो आधा महर देना होगा। क़ुर्आने मजीद में यह बात स्पष्ट लिखी है।

प्रश्न : मोबाइल में घन्टी की जगह पर अल्लाहु अक्बर सुब्हानल्लाह या सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिंव्व सल्लम या अज़ान के कलिमात फिट करना कैसा है?

उत्तर : अल्लाह तबारक व तआला जो सारी मख़्लूकात का ख़ालिक़ व मालिक है, उसकी अज़मत व बड़ाई का एअतिक़ाद व एअतिराफ़ और इज़हार दिल व ज़बान और अअज़ा व जवारेह से लाज़िम व ज़रूरी है इसी तरह हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सय्यिदुल् इंबिया व ख़ातमन्नबिय्यीन हैं, आप की नुबुव्वत व रिसालत पर ईमान और उनकी तअलीमात पर अमल फ़र्ज़ (अनिवार्य) है, आप से अक़ीदत व महब्बत ईमान का हिस्सा है, लिहाज़ा अल्लाह व रसूल के नामों या इस तरह के मज़कूरा कलिमात जिस में अल्लाह की तहमीद व तस्बीह और किब्रियायी का इज़्हार है और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) पर दरूद भेजा गया है उन को दुन्यावी मक़ासिद जैसे फून के आने की इत्तिलाअ करना कतअन (कदापि) दुरूस्त नहीं, क्यों कि यहां मक्सद (उद्देश्य) हम्द व सना (ईश प्रशंसा) और दुरूद व सलाम नहीं है अपितु मक्सद यह है कि यह मअलूम हो जाए कि फ़ून आया है बात कीजिये अलबत्ता अस्सलामु अलैकुम के कलिमात फिट करने में कोई हरज नहीं है बल्कि बेहतर है।

(माहनामा हिदायत के शुक्रिये के साथ)

❑❑

क़िस्त 14

हम कैसे पढ़ायें?

शिक्षकों के लिए

तीसरा अध्याय

– डॉ. सलामत उल्लाह

हाथ का काम (हस्त कला)

ड्राइंग की तरह दस्तकारी भी बच्चे की जन्मजात रचनात्मक प्रवृति की तसल्ली का उत्तम साधन है। पहली कक्षा में कागज तराशी, बेल बूटे और हल्के गत्ते की चीजें बनाने का काम शुरू किया जा सकता है। बेल बूटे का काम नौ दस साल की उम्र तक जारी रखा जा सकता है। लेकिन इसे तमाम विषयों से अलग रखना, इस के असल मकसद से हट जाना है। भूगोल, इतिहास और प्रकृति अध्ययन के क्रम में मिट्टी का काम करना अधिक सार्थक और पसन्दीदा है। पर्वत और नदियों के सिस्टम को दिखाने के लिये माडल बनाना, फल और जानवरों के माडल बनाना, युद्ध क्षेत्र का मानचित्र, और खेमों के चित्र बनाना आदि वह काम हैं जिन से देखी हुई मालूमात में अर्थ पैदा हो जाते हैं। यद्यापि गत्ते की चीजें बनाना और कागज तराशी इतने अच्छे मशागिल नहीं हैं जितना बेल बूटे का काम, लेकिन इस तरह इन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्यारह बारह साल के बच्चों के हाथ के काम में लकड़ी और धातु का काम शामिल करना चाहिये, देहात के स्कूलों में इन के बजाय बागबानी और काश्तकारी ज्यादा कामयाबी से सिखाई जा सकती है। लड़कियों के लिये खाना पकाने और कपड़ा धोने के काम उचित होंगे।

लकड़ी के काम में बहुत समय तक चूलों का बनाना, रन्दा करना आदि सिखाया जाता है। लेकिन अभ्यास प्रायः दिलचस्पी समाप्त कर देने के कारण बनते हैं। यद्यपि इन से हाथ और आँखों की ट्रेनिंग होती है और आगे चलकर मुश्किल काम में आसानी हो जाती है। किन्तु हमारे विचार से यह कार्य भी ड्राइंग की तरह उस समय तक शिक्षण के एतबार से अधिक लाभदायक नहीं हो सकता जब तक उसे बच्चे के स्कूल के जीवन या बाहर के जीवन से जोड़ा न जाये। या यूँ कहिये कि बनाई हुई चीज बच्चे के दृष्टि कोण से किसी ऐसे विचार को व्यक्त कर रही हो जिसे व्यक्त करने की बच्चा जरूरत महसूस कर रहा हो। इस तरह छोटी कक्षाओं में खिलौने बनाने के काम से लेकर बड़ी कक्षाओं में साइंस के यन्त्र बनाने तक के काम में केन्द्रीय बिन्दु यही होना चाहिये। यह सही है कि इस प्रकार के जोड़ के लिये तमाम विषयों की शिक्षा एक अध्यापक के जिम्मे होना आवश्यक है। यदि यह सम्भव न हो तो फिर सब टीचर हस्तकला सिखाने वाले अध्यापक को अपनी जरूरतें बतायें और वह यह चीजें बच्चों से इस तरह बनवाये कि उन से अधिक से अधिक शैक्षिक लाभ उठाया जा सके।

लेसन प्लानिंग (पाठों को योजना बद्ध करना)

हमने इस अध्याय में अब तक इस बात पर विचार किया है कि विभिन्न विषयों के पाठयक्रम को स्कूल को विभिन्न कक्षाओं में किस प्रकार बाँटा जा सकता है। अब यह अध्यापक का काम है कि विषय वस्तु को और छोटे हिस्सों में किस तरह बाँटे। यह उचित नहीं होगा कि पूरी अवधि की योजना बनाये बिना अनुमान लगा कर काम शुरू कर दिया जाये और आशा की जाये कि उस का एक हिस्सा दिये हुए समय में पूरा कर लिया जायेगा। सम्भव है कि इस बात का सही अन्दाजा न लगाया जा सके कि वास्तव में कितना हिस्सा पूरा किया जा सकेगा। अनुभवी अध्यापक जो अपने छात्रों को अच्छी तरह जानता है पहले से कम व बेश एक सही योजना बना सकता है। और यदि वह कक्षा से परिचित नहीं है तो किसी ऐसे टीचर से मदद ले सकता है जो बच्चों को अच्छी तरह जानता

है। अतः पाठयक्रम को सावधानी से विभिन्न हिस्सों और टापिक्स में बाँट लेना और उन के अंशों तथा क्रकमबद्धता को सुनिश्चित कर लेना भी जरूरी है।

विभिन्न भागों और टापिक्स की रूपरेखा तैयार करते समय याद रखना चाहिये कि हर भाग की लम्बाई, उस की कठिनाई और बच्चों की अवस्था तथा योग्यता को ध्यान में रखते हुए, निश्चित की जाये। मिसाल के तौर पर सादा घटाव का कायदा जो एक अनुभवहीन टीचर को हिसाब का सिर्फ एक ही आसान हिस्सा मालूम होगा, अनुभव वाले टीचर के नजदीक जो छोटे बच्चों की सोच से वाकिफ है कई एक हिस्सों पर घिरा है जिन में से हर एक नई समस्यायें पेश करता है। इन हिस्सों को निश्चित करने के बाद उन्हें इस क्रम से व्यवस्थित करना चाहिये कि उन में से हर एक अपने प्रहलू वाले से हमरिश्ता हो, मेल खाता हो, और आने वाले से करीबी तअल्लुक रखे। गाणित और इस से सम्बन्धित विषयों में इस प्रकार के सम्बन्ध का कायम रखना बहुत जरूरी है और आसान भी है। लेकिन दूसरे विषयों में भी इस का प्रयास करना चाहिये। हर हिससे में एक केन्द्रीय विचार का होना जरूरी है जिसे शीर्षक के तौर पर लिखा जा सकें। इस से टीचर के काम में बड़ी आसानी हो जायेगी।

हाँ हमारे देश में इस प्रकार के नियोजन में एक व्यवहारिक कठनाई है कि प्रायः स्कूल खुलने के एक दो महीने बाद तक दाखिले होते रहते हैं और कभी तो आधा शैक्षिक सत्र समाप्त होने पर भी दाखिले कर लिये जाते हैं। ऐसी दशा में एक ही कक्षा में विभिन्न योग्यताओं के बच्चों का हो जाना निश्चित बात है। इस के लिये विभिन्न कार्य प्रस्तावित करने होंगे, और एक सोचा समझा और पहले बनाई हुई रूपरेखा बिना संशोधन किये प्रयोग न की जा सकेगी। फिर भी टीचर और क्लास को इस से कुछ फायदा जरूर होगा।

पाठयक्रम के नियोजन से सम्बन्धित कुछ निर्देश

पाठयक्रम को विभिन्न हिस्सों में तरतीब देने के बारे में कुछ व्यवहारिक निर्देश इस प्रकार है :–

1. टीचर सर्वप्रथम छात्रों की पूर्व जानकारी का जायजा लेगा। नये साल के काम के लिये कक्षा की औसत योग्यता को सामने रखेगा। कुछ विषयों में कक्षा को तेज और कमजोर बच्चों में बाँटने की जरूरत होगी।

2. प्रत्येक भाग को क्रमबद्ध करने में दूसरे विषयों से जुड़े रहने का भी ध्यान रहेगा।

3. हर भाग पर काफी समय देगा ताकि बच्चे उसे अच्छी तरह समझलें जिस का सबूत यह है कि बच्चे नई जानकारी को सफलता पूर्वक सही मौका पर इस्तेमाल कर सकें। (जारी)

❑❑

हम उर्दू क्यों पढ़ें?

एम० हसन अंसारी

"सज्जनों! मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं के हक़ में जो सुझाव राधाकृष्णन कमीशन राष्ट्रीय एकता परिषद, शिक्षा मंत्रालय, यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन, कोठारी कमीशन और लोक सेवा आयोग ने अलग अलग समय में मंजूर की थीं उन से आप नावाकिफ नहीं, इस लिये इन का दोहराना अनावश्यक है। फिर भी हम आप का ध्यान भारत सरकार की तजवीज दिनांक 10 जनवरी 1968 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो भाषा–नीति के सिलसिले में दोनों सदनों में मंजूर हुई। और जिस में सुस्पष्ट ताकीद के साथ लिखा है कि हिन्दी के अलावा देश की चौदह भाषाओं की तरक्की के लिये वह तमाम उपाय किये जायें जिन से यह आधुनिक ज्ञान विज्ञान के खजानादार बन जायें और देश में सेकुलर जनतन्त्र की बुनियादें मजबूत हों। तब ही शिक्षा का स्तर ऊँचा उठेगा और बुद्धिजीवियों तथा जनता के बीच जो खाई है वह दूर होगी।"

❑❑

दूसरी क़िस्त

लिखने की कला

शमीम एकबाल खाँ

हिज्जों अर्थात् वर्तनी में भी गलतियाँ करते हैं जिसके कारण वाक्य का अर्थ एकदम उलट जाता है, यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों के जोड़े दिये जा रहे हैं जिनके हिज्जों में थोड़ा सा अन्तर है परन्तु अर्थ में जमीन–आसमान का फ़र्क है :–

क्र.सं.	शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
1	अंश	भाग	अंस	कंधा
2	अगम	दुर्लभ	आगम	उत्पत्ति
3	अरबी	एक भाषा का नाम	अरवी	घुइय्याँ
4	अवधि	काल	अवधी	अवध की बोली
5	आरती	दीप से पूजा	आर्ति	दुःख
6	आसन	बैठने की जगह	आसन्न	निकट
7	इन्दिरा	लक्ष्मी	इन्द्रा	इन्द्राणी
8	इत्र	सुगंधित तेल	इतर	दूसरा
9	उपस्थित	हाजिर	उपस्थिति	हाजिरी
10	कँटीला	काँटेदार	कटीला	काटने वाला
11	कोश	खजाना	कोस	दो मील
12	केश	बाल	केस	मुकदमा
13	क्षत्रि	क्षत्रीय से सम्बन्ध	छात्र	विद्यार्थी
14	गिरि	पर्वत	गिरी	बीज, गूदा
15	गूँधना	सानना	गूँथना	पिरोना
16	गृह	घर	ग्रह	नक्षत्र
17	चरम	अन्ति	चर्म	चमड़ा
18	चित्त	मन	चित	सीधा
19	जांता	यन्त्र, चक्की	जनता	लोग
20	परदेश	दूसरा देश	प्रदेश	प्रान्त
21	परवाह	ध्यान	प्रवाह	बहाव
22	फुट	12 इंच	फूट	भेदभाव
23	बहन	सहोदरा	वहन	ढोना
24	बास	गंध	वास	निवास
25	भट	योद्धा	भट्ट	पण्डित
26	शंकर	शिव	संकर	मिश्रित जाति
27	शकल	टुकड़ा	सकल	सब

28	शप्त	शाप पाया हुआ	सप्त	सात
29	शर	वाण	सर	सरोवर
30	शाला	घर	साला	पत्नी का भाई
31	शिरा	नाड़ी	सिरा	अन्त
32	शूर	वीर	सूर	सूरज
33	षष्टि	साठ वर्ष	षष्ठी	छठी
34	सजा	सजाया हुआ	सज़ा	दण्ड
35	सुवर्ण	अच्छे रंग वाला	स्वर्ण	सोना
36	सुधि	स्मरण	सुधी	समझदार
37	हँसी	हंसने की क्रिया	हंसी (हन्सी)	हंस की मादा
38	हट	परे होना	हठ	ज़िद

हिन्दी भाषा सरल अवश्य है परन्तु उसे शुद्ध रुप से लिखने के लिये परिश्रम और सावधानी की आवश्यकता रहती हैं हिन्दी को शुद्ध रुप से लिखना सरलता से सीखा जा सकता है क्योंकि उच्चारण में प्रत्येक अक्षर की ध्वनि रहती है, यदि उच्चारण शुद्ध है तो लेखन कार्य भी शुद्ध होगा।

वाक्य–शुद्धि

"एक पूर्ण विचार को व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं" अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक वाक्य अपने शुद्ध रुप में बोला तथा लिखा जाना चाहिये। "अध्यापक छात्र को पढ़ाता है" इस वाक्य के अर्थ एवं भाव की सुस्पष्टि प्रतीत होती है अतः यह वाक्य शुद्ध कहा जायेगा, प्रत्येक पाक्य में चार प्रकार के गुण होने चाहिये–

1– आकाँक्षा 2– योग्यता

3– आसत्ति 4– क्रम

1.आकाँक्षा– किसी वाक्य में निहित पूर्ण भाव जानने के लिये एक पद को सुनने की इच्छा को आकाँक्षा कहते हैं जिस वाक्य की आकाँक्षा की पूर्ति होती है वही पूर्ण वाक्य कहलाता है।

जैसे– "खाता है"

यह पद किसी पूर्ण भाव को प्रकट नहीं करता, अतः श्रोता अथवा पाठक की जिज्ञासा शान्त नहीं होती।

2.योग्यता– शक्ति अथवा सामर्थ्य को योग्यता कहते हैं यदि किसी वाक्य से जाहिर होने वाले अर्थ में असंगति हो तो वह वाक्य अपूर्ण माना जायेगा।

जैसे– "अहमद बारिश में कपड़ों को सुखा रहा है"

इस वाक्य के अर्थ मं असंगति है जो इस प्रकार होना चाहिये–

"अहमद धूप में कपड़ो को सुखा रहा है"

3.आसत्ति– आसत्तिका अभिप्राय समीपता से होता है वाक्य को कथित अथवा लिखित पदों में समीपता का होना आवश्यक है अन्यथा वाक्य की सार्थकता सामप्त हो जायेगी यदि वाक्य का एक खण्ड तो पहले बोल दिया जाय लेकिन दूसरे खण्ड के बोलने में अधिक देरी लगा दी जाये तो वाक्य में आसत्ति के गुण का आभाव हो जायेगा।

जैसे– शाहिद आज––––– दिल्ली नहीं जायेगा

विशेष– यद्यपि इस प्रकार के वाक्य बोल–चाल में ही प्रयुक्त होते है फिर भी ज्ञानवर्धन के लिये लिखा गया है।

4.क्रम– वाक्य में शब्दों को उनके अर्थ के अनुसार अपने–अपने स्थान पर होना चाहिये, शब्द क्रम विपरीत होने से वाक्य अपनी सार्थकता खो देता हैं जैसे–

मैं जाता हूँ स्कूल प्रतिदिन।

इस वाक्य में पठयक्रम ठीक नहीं है, हिन्दी भाषा में प्रारम्भ में कर्ता फिर कर्म अथवा पूरक तथा सबसे अन्त में क्रिया होती है, अतः

उक्त वाक्य को इस प्रकार होना चाहिये—**मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ।**

यहाँ कुछ अशुद्ध एवं शुद्ध वाक्यों के उदाहरण दिये जा रहे हैं यद्यपि इनके पठयक्रम ठीक हैं फिर भी इनमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि उपस्थित है जो आमतौर से बोल—चाल में प्रयोग होते हैं—

क्र.सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	अल्लाह के अनेकों नाम हैं	अल्लाह के अनेक नाम हैं
2.	वह बड़ा निर्दयी है	वह बड़ा निर्दय है
3.	बानर वृक्षों में रहते हैं	बानर वृक्षों पर रहते है।
4.	वहाँ भारी—भरकम भीड़ थी।	वहाँ भारी भीड़ थी।
5.	यद्यपि वे सज्जन हैं किन्तु क्रोधी हैं।	यद्यपि वे सज्जन हैं तथापि क्रोधी हैं।
6.	विद्यार्थी भारत के आगामी नेता हैं।	विद्यार्थी भारत के भावी नेता हैं
7.	जो गुप्त रहस्य है, उसे प्रकट कर दो।	जो गुप्त है, उसे प्रकट कर दो।
8.	साहित्य और जीवन का घोर सम्बन्ध हैं।	साहित्य और जीवन का गहरा सम्बन्ध है।
9.	तुम क्या वहाँ जाओगे।	क्या तुम वहाँ जाओगे?
10.	हमने वहाँ जाना है।	हमें वहाँ जाना है।
11.	दस रुपया मुझे दो।	दस रुपये मुझे दो।
12.	सोहन ने अपने खेत में ज्वार बोया है।	सोहन ने अपने खेत में ज्वार बोई है।
13.	उनका बहुत भारी सम्मान हुआ।	उनका बहुत सम्मान हुआ।
14.	उसके रहन—सहन का दर्जा ऊँचा है।	उसके रहन—सहन का स्तर ऊँचा है।
15.	निरपराधी को दण्ड देना उचित नहीं।	निरपराध को दण्ड देना उचित नहीं।
16.	लड़की लोग बैठा था।	लड़कियाँ बैठी थीं।
17.	मुकदमें सम्बन्धी कागजातों को भेज दो।	मुकदमें सम्बन्धी कागजात भेज दो।
18.	सब लोग अपनी राय दें।	सब लोग अपनी—अपनी राय दें।
19.	वह जानते हैं कि यह नहीं जायेगा।	वे जानते हैं कि ये नहीं जायेंगे।
20.	हिन्दी के अधिकांश साहित्य ब्रज भाषा में लिखे गये हैं।	हिन्दी का अधिकांश साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है।
21.	उन्होने हस्ताक्षर किया।	उन्होने हस्ताक्षर किये।
22.	अनेक ऐसा बीर बालक हुआ है।	अनेक ऐसे बीर बालक हुये हैं।
23.	गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जनभाषा में दिये।	गौतम ने अपना उपदेश जनभाषा में दिया।
24.	वह मैं हूँ जिन्होने तुझे बचाया था।	वह मैं ही हूँ जिसने तुझे बचाया था।
25.	अनुशासन के बिना व्यक्ति अपने चरित्रों को खो देता है।	अनुशासन के बिना व्यक्ति अपना चरित्र खो देता है।

व्यक्तिगत पत्र लेखन

किसी ने कहा है "पत्र हमारे हृदय के विभिन्न पटलों को खोलने में सहायक होते हैं। ये हमारी भावनाओं एवं विचारों की पंखुड़ियों से निर्मित सुन्दर पुष्प हैं" जब कोई पत्र प्राप्त होता है तो एक अजीब सी प्रसन्नता होती है बशर्ते किसी कर्ज की अदायगी के तकाजे के लिये न लिखा गया हो यह पत्र ऐसा होना चाहिये कि लगे पत्र लिखने वाला स्वयं पास में बैठा बातें कर रहा हो, यहाँ पर कुछ सुझाव हैं जो आप के पत्र लेखन में सहायक होंगे।

यदि आप के पास कम्प्यूटर अथवा टाइप राइटर है तो पत्र लिखने में इनका ही उपयोग किया जाना चाहिये। इनके द्वारा छपे पत्र आकर्षक दिखते हैं। इनका प्रयोग उसी समय करना चाहिये जब आप को

भली–भांति टाइपिंग आती हो अन्यथा बेशुमार गल्तियाँ होंगी जिन्हे आप सुधारते–सुधारते परेशान हो जायेंगे।

लेखन में विराम चिन्हों का प्रयोग लेखन को और भी आकर्षक एवं सुन्दर बना देते हैं। इनके प्रयोग से लेख को उसी लहजे में पढ़ा जा सकता है जिस लहजे में लिखने वाला आप से बातें करता।

विराम चिन्ह उनका प्रयोग

विराम का अर्थ है रुकना, ठहराव, विश्राम, जीवन में भी इसी विराम की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है। कभी हम तेज दौड़ते हैं कभी धीरे चलते हैं, कहीं रुकना भी पड़ता है, काम करते–करते थक जाने पर भी आराम किया जाता है, इस आराम को ही दूसरे शब्दों में विराम कहा जाता है, लेखन में भी विराम की आवश्यकता रहती है, लेखन का सम्बन्ध चिन्तन से भी होता है, हम पहले सोचते हैं फिर लिखते हैं सोचने और लिखने के अन्तर को किसी–न–किसी विराम चिन्ह के द्वारा प्रकट किया जाता है, ऐसा इस लिये भी करना पड़ता है कि हमारे सोचने और कल्पना करने की धारा कभी एक जैसी नहीं रहती। विराम चिन्हों के प्रयोग के द्वारा बात को सरलता से समझा जा सकता है। निम्न वाक्य को पढ़ें–

उसे रोको मत जाने दो।

इस वाक्य से स्पष्ट नहीं है कि रोकने के लिये कहा जा रहा है अथवा जाने देने के लिये कहा जा रहा है अब यदि विराम चिन्ह का उपयोग किया जाये तो अर्थ स्पष्ट हो जायेगा।

• यदि रोकने के लिये कहा जाये तो विराम चिन्ह का प्रयोग।

उसे रोको, मत जाने दो।

• यदि जाने देने के लिये कहां जा रहा है तो विराम चिन्ह का प्रयोग।

उसे रोको मत, जाने दो।

निम्न वाक्य को पढ़ें और इसका आशय समझें।

कल रात एक युवक मेरे पास, पैरों में मोजे और जूते, सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी, मुंह में सिगार, और कुत्ता पीछे–पीछे लिये आया।

उक्त वाक्य में यदि विराम चिन्हों को बदल दिया जाये तो इसका आशय भी बदल जायेगा

कल रात एक युवक मेरे पास, पैरों में मोजे और जूते सर पर, टोपी हाथ में, छड़ी मुंह में सिगार और कुत्ता पीछे–पीछे लिये आया।

अतः आवश्यक है कि प्रत्येक प्रकार के लेख में विराम का प्रयोग सोच–समझ कर ही करना चाहिये अन्यथा अर्थ का अनर्थ तो होगा ही साथ ही आप के व्यक्तित्त्व को भी घायल करेगा।

हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह

हिन्दी भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह वही हैं जो अंग्रेजी भाषा में पंक्चुएशन मार्क (Punctuation Mark) कहलाते हैं। अंग्रेजी की तरह ही इनका उपयोग हिन्दी में भी होता है। इनका विवरण इस प्रकार है

शेष अगले अंक में ❑❑

कैसे हो पारस्परिक एकता.....

कोई कहे सब लोग एक धर्म में आ जाएं यह भी असम्भव है। फिर एकता किस प्रकार हो?

एकता की एक ही डगर है वह यह कि सब लोग अपने अपने मत तथा धर्म पर स्वतत्रता पूर्वक जमे रहें। राज नीति में धर्म न लाएं, राजनीति मंचों पर न किसी धर्म का पक्ष लें न किसी धर्म पर आक्षेप करें अपितु सभी धर्मों का सम्मान करें। जो पार्टी एलेक्शन में धर्म के आधार पर जीते गी वह सत्ता में आकर इस बहुधर्मी देश को सुख शान्ति से वंचित कर देगी।

समाज में सुख शान्ति लाने के लिये आवश्यक होगा कि सब अपने अपने धर्म पर चलें एक दूसरे को अपने धर्म का परिचय अवश्य दें इस लिये कि एक साथ जीवन बिताने वाले यदि एक दूसरे के धर्म से परिचित न होंगे तो उन से डर है, न जाने कब अपनी बातों से तथा अपने कर्मों से दूसरे धर्म वालों को उत्तेजित कर के वातावरण दूषित कर दे।

धार्मिक गोष्ठियों, समारोहों में दूसरे धर्म के महापूरूषों का उल्लेख न किया जाए और किया जाए तो सम्मान पूर्वक किया जाए, अपमान तो कदापि न किया जाए। यह देश बहुधर्मी देश है जब तक एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले को सहर्ष सहन न करेगा समाज सुख शान्ति से वंचित रहे गा, तथा पारस्परिक व्यापक एकता का अभाव रहेगा। रही बात धर्म परिवर्तन की तो एक व्यस्क बुद्धिमान व्यक्ति स्वतंत्र है वह अपना प्रिय धर्म धारण कर सकता है परन्तु अनजानों को धोखा देकर तथा निर्धनों को धन देकर धर्म परिवर्तन बहुत बुरा है। ❑❑

इस्लाम के सुखद अनुभव

शहनाज़ ख़ान नार्वे

एक पुस्तक के सम्पादक ने नवमुस्लिमों के लिए एक सवालनामा (प्रश्न पत्र) तैयार कर रखा है, जिसे दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की जा रही है। नार्वे की श्रीमती शहनाज़ ख़ान तक यह सवालनामा पहुंचा तो उन्होंने इसके जवाब लिखकर भिजवा दिये। उनके शुक्रिये के साथ इसका अनुवाद पाठको की सेवा में प्रस्तुत है।

सवाल और उनके जवाब इस प्रकार हैं :–

• आपका अस्ली नाम और इस्लामी नाम?

जवाब : मेरा अस्ली पैतृक नाम तोव गन्न पेडरसन (Tove gunn Pedersen) है। इस्लाम स्वीकार करने के बाद मैं अपने पति के सन्दर्भ से शहनाज खान बन गयी।

• आप कब और कहां पैदा हुईं? अपने माता–पिता और ख़ानदान के बारे में आवश्यक जानकारी दीजिए?

जवाब : मैं 12 जून 1963 ई0 को अरेन्डल (Arendal) नार्वे में पैदा हुई। मेरे माता–पिता की शादी फरवरी 1962 ई0 में हुई। शादी के समय मेरी मां की उम्र अठारह वर्ष जबकि पिता की पचीस वर्ष थी। मेरी मां का संबंध एक नास्तिक परिवार से था, जबकि पिता एक कट्टर धार्मिक परिवार से थे, मगर दोनों व्यावहारिक रूप से नास्तिक हैं।

मेरी मां नर्स हैं, जबकि पिता समुद्री जहाज के कैप्टन हैं। मेरी एक ही बहन है, वह भी नास्तिक है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मेरा पूरा परिवार ही धर्म से दूर है।

• आपकी शिक्षा, शिक्षा के अतिरिक्त योग्यताएं और व्यस्तता इत्यादि?

जवाब : मैंने प्रचलित शिक्षा के बाद दो वर्षों तक एक प्रोफेशनल शिक्षा प्राप्त की। फिर दो साल तक एक नर्सिंग स्कूल में प्रशिक्षण लेती रही। आजकल मैं एक सरकारी चिकित्सालय में नर्स की हैसियत से सेवा कर रही हूँ।

• आप सबसे पहले कब और कैसे इस्लाम से परिचित हुईं? क्या कोई किताब पढ़ी या किसी मुसलमान से मुलाकात हुई?

जवाब : मेरी उम्र चौदह साल हुई तो सामान्य परम्परा के अनुसार माता–पिता ने कहा कि मुझे Confirmation तैयारी के लिए संबंधित पादरी के पास जाना चाहिए। यह ईसाई समाज की केवल एक रस्म थी, इससे अधिक इसकी कोई हैसियत न थी। इसलिए नास्तिक माता–पिता भी अपनी संतान को उपर्युक्त सुझाव देते थे। सहसा मेरे मन में एहसास उभरा और मेरे दिल ने गवाही दी कि यह केवल ढोंग है। मैं ईसा मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानती। माता–पिता की नास्तिकता के बावजूद मेरा हमेशा से यह विश्वास रहा है कि खुदा एक है, उसका कोई साझी नहीं। इसलिए मैंने पादरी के पास जाने से साफ इन्कार कर दिया।

मैं अध्ययन–मनन की हमेशा से शौकीन रही हूँ और हर प्रकार की अच्छी किताबें पढ़ना मेरा प्रिय काम रहा है। अतः यह मेरा सौभाग्य है कि एक दिन मैं एक पुस्तकालय में गयी और वहीं मैंने इस्लाम के बारे में एक किताब देखी। मैंने वह किताब हासिल की और उसका अध्ययन किया, तो मानो वह मेरे दिल की बातें करने लग गयी। उसमें बताया गया था कि संसार का एक ही स्रष्टा और मालिक है और किसी भी दर्जे में उसका कोई समकक्ष नहीं मैं इस शिक्षा से बहुत प्रभावित हुई।

इसके अतिरिक्त मेरा यह सौभाग्य भी देखिये कि इन्हीं दिनों मेरा परिचय एक मुसलमान परिवार से हो गया। इस्लाम से दिलचस्पी तो पैदा हो ही गयी थी, उनकी मुहब्बत और तवज्जोह ने और

अधिक आकर्षण पैदा किया और मैंने इस्लाम के बारे में उनसे कुरेद–कुरेद कर जानकारियां हासिल कीं.... और जब मानसिक और हार्दिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट हो गयी तो सोलह वर्ष की उम्र में कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गयी।

• आपने कब अपने धर्म को छोड़ा और क्यों?

जवाब : चूंकि मेरे माता–पिता कभी धार्मिक नहीं थे और स्वयं मैंने भी कभी ईसाइयत पर यकीन नहीं किया था, इसलिए मैं इस धर्म को अपना पैतृक धर्म नहीं कह सकती। मैंने अल्लाह की कृपा से सकारात्मक रूप से इस्लाम को नैतिक और सामाजिक शिक्षाओं से प्रभावित होकर इस धर्म को स्वीकार किया। मेरे दिल और दिमाग़ ने गवाही दी कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है और इसका स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है।

• इस्लाम स्वीकार करने के बाद आपके मित्रों और परिवार की प्रतिक्रिया क्या थी? आपने उसका कैसे सामना किया?

जवाब : मेरे माता–पिता और परिवार के अन्य लोग बहुत नाराज हुए। उनका कहना था कि इस्लाम का स्वभाव ही अत्याचार पर आधारित है और विशेष कर इस धर्म में महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचारपूर्ण जैसा व्यवहार किया जाता है। अतः जब मैंने इस्लामी लिबास पहना और सिर पर स्कार्फ बांधने लगी तो उन्होंने कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि इस प्रकार के व्यवहार से औरत की आजादी छिन जाती है, किन्तु मेरे मित्रों ने मेरे इस्लाम को स्वीकार करने पर किसी गंभीर प्रतिक्रिया का प्रदर्शन नहीं किया। उनके विचार में यह मात्र भावनात्मक उबाल है, जो एक–आध साल में ठंडा हो जाएगा।

तीन वर्षों तक अपने परिवार और माहौल से मेरा कठिन संघर्ष रहा, यहां तक कि उन्नीस साल की उम्र में मैने एक मुसलमान नवजवान से शादी करके अपना अलग घर बसा लिया।

• इस्लाम को स्वीकार करने के बाद आपने अपने दैनिक जीवन में कैसी तब्दीलियां महसूस कीं?

जवाब : इस्लाम को स्वीकार करने के बाद मैंने अपने जीवन में अल्लाह की मेहरबानी से बहुत–सी तब्दीलियां पैदा कीं या स्वयं ही पैदा हो गयीं। इस्लामी तौर–तरीक़े अपनाने और हलाल व हराम (वैध और अवैध) का ध्यान रखने के बाद सभी गैर–मुस्लिम दोस्तों को त्याग कर मुस्लिम लोगों से संबंध स्थापित किये। मेरी ससुराल का पूरा परिवार मुसलमान था। उनसे बिल्कुल नये ढंग से संबंध स्थापित हुए।

मेरे अन्दर रहन–सहन के यूरोपीय ढंग में विशेष परिवर्तन तो यह है कि मैं परदे वाला लिबास पहनती हूँ। क्लबों में नहीं जाती, गृहिणी की हैसियत से घर पर ही जीवन व्यतीत कर रही हूँ। नमाजों के समय के साथ–साथ अन्य दैनिक कर्मों में भी सामंजस्य स्थापित हो गये हैं। मेरे आसपास के लोग गर्मियों की दोपहर में अर्द्धनग्न वस्त्र पहन कर समुद्री तट पर मस्तियां करते हैं। लेकिन मैं पूरा लिबास पहन कर संतुष्ट और प्रसन्नचित होकर अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ।

• आपके विचार में आपके धर्म. .ईसाइयत...और इस्लाम में मौलिक अन्तर क्या है?

जवाब : वर्तमान ईसाइयत और इस्लाम में अन्तर यह है कि आप हर काम करने में उस समय तक पूर्णतया आजाद हैं जब तक आपका पड़ोसी परेशान न हो, विशेष रूप से लैंगिक दृष्टि से यह समाज पूर्णतः स्वतंत्र है किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं और लैंगिक संबंधों के पहलू से कोई दायित्व नहीं, जबकि इसके विपरीत इस्लाम सामाजिक और लैंगिक दृष्टि से बहुत–से प्रतिबंध लगाता है। इस्लाम में यौनाचार तो विशुद्ध रूप से पति–पत्नी तक सीमित है और इससे हटकर इसकी कोई अवधारणा नहीं देता, जबकि यूरोपीय समाज इसके बिना बिल्कुल अधूरा है। इस्लाम पारिवारिक व्यवस्था का संरक्षण करता है, जबकि यूरोप इससे

वंचित हो चुका है। इस्लाम ने पारिवारिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए अनेक सिद्धांत बना रखे हैं, जबकि ईसाई समाज इस प्रकार के नियम–कानूनों से मुक्त है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मेरा अपना धर्म–इस्लाम चौबीस घंटे का धर्म है, जबकि ईसाइयत सप्ताह में केवल दो घंटे के लिए जागती है, वह भी काहिली के साथ।

• आपके नजदीक यूरोपीय समाज और उसके मूल्यों की क्या खामियां हैं? और इस्लाम के वे कौन–से उज्जवल पक्ष हैं जिन्होंने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया?

जवाब : यूरोपीय समाज की त्रुटियां और इस्लाम की खूबियां बयान करने के लिए तो मुझे बाकायदा एक किताब लिखनी चाहिए। इस बात को संक्षेप में इस प्रकार कह सकती हूँ कि पश्चिम में "आजादी बिना जिम्मेदारी और पाबन्दी" को प्रचार किया जाता है, जबकि इस्लाम इन्सानों को "जिम्मेदारी के साथ आजादी" का पाबन्द करता है और सही और गलत के मामले में पूरा मार्गदर्शन भी करता है।

• आपके विचार में वर्तमान समय में इस्लाम के प्रचार का सबसे सही तरीका क्या है?

जवाब : मेरे नज़दीक इस्लाम के प्रचार का सबसे मुनासिब तरीका यह है कि हम समझ–बूझकर सहाबा (रजि0) और प्रथम शताब्दी के मुसलमानों की जीवनियों का अध्ययन करें और इस्लाम के प्रचार के संबंध में उनसे रहनुमाई हासिल करें। लोगों को बताएं कि वे आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से बीमार हैं और इस्लामी नैतिकता और मूल्य ही इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। उन्हें विश्वास दिलाएं कि इस्लाम ही घर और समाज की समस्याओं का समाधान कर सकता है और इस्लामी कानून ही समस्त व्यक्तिगत और सामूहिक खराबियों को दूर कर सकता है। इसके साथ ही अत्यंत आवश्यक है कि एकेश्वरवाद पर विशेष जोर दिया जाए।

यूरोपीय समाज में प्रचारात्मक गतिविधियों के दौरान सतर्कता बहुत जरूरी है कि अकारण पश्चिम की खामियों और खराबियों पर बात न की जाए, बल्कि उनका उल्लेख कम किया जाए और सकारात्मक ढंग से इस्लाम की खुबियों को अधिक उजागर किया जाए।

• इस्लाम के साथ पैदाइशी और नस्ली मुसलमानों ने जो रवैया अपना रखा है, उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगी?

जवाब : यह बात सचमुच कष्टदायक है कि बहुत–से नस्ली मुसलमान अपने रवैये से धर्म पर चलने वाले मुसलमानों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। अतः अक्सर लोग मुझ से सवाल करते हैं कि ये पुरानी मुसलमान औरतें तो नंगे सिर आजाद घूमती हैं, फिर तुम सिर पर स्कार्फ क्यों बांधे रहती हो? फिर यह बात भी बड़ी आश्चर्यजनक है कि बहुत–से नस्ली मुसलमान इस्लाम के विषय में कुछ भी नहीं जानते और जब किसी धार्मिक विषय पर उनसे कोई सवाल किया जाता है तो असमर्थता प्रकट करने के बजाय ऐसे गलत जवाब दे देते हैं, जो कभी–कभी धार्मिक शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत होते हैं। शायद इसीलिए हम जैसे लोग जो इस्लाम को शऊरी तौर पर समझते हैं और उसकी शिक्षाओं पर अमल करते हैं, उन्हें तो व्यंग्यात्मक रूप से कट्टरपंथी और संकीर्ण दृष्टि वाला कहा जाता है, लेकिन ये पुराने बेअमल मुसलमान 'मॉडर्न' 'लिबरल' कहलाते हैं। (कान्ति से ग्रहीत)

❑❑

योग और धर्म–परचार.. *पृ० 31*

विवादों में पड़े बिना इस्लामी पद्धति की शारीरिक क्रियाएं व व्यायाम–विधियां संपादित व सम्पन्न की जाए, जिसका नाम 'योग' कदापि न रखा जाए। सरकारी स्तर पर जो फिजियो थेरेपी शुरू की गयी है, उससे लाभ उठाया जा सकता है। यह शरीरिक क्रियाओं व व्यायाम पर मुख्यतः आधारित हैं।

❑❑

सुबह का तारा

डा. फिरोज़ सुलताना

सितारा (तारा) शब्द कुरआन मजीद में तेरह बार इस्तेमाल हुआ यह एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है जाहिर (प्रकट) होना या दिखायी देना कुरआन में इस बात का जिक्र कुछ इस तरह किया गया है "कसम है आसमान की और रात को नमूदार (दिखाई देने वाले) होने वाले की और तुम क्या जानो वह रात को नमूदार होने वाला क्या है" चमकता हुआ तारा।

अल्लाह असमानो और जमीन का नूर है इसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे कि ताक में चिराग रखा हुआ हो चिराग ऐसी फानूस में हो फानूस का हाल यह हो कि जैसे मोती की तरह चमकता तारा"

हमने आसमान दुनिया को कवाकिब से जीनत (शोभा) दी है।

इसके अतिरिक्त भी कई जगह इसके बारे में इर्शाद इलाही है।

सुबह का तारा के बारे में लोग जानते है कि यह सूरज निकलने से कुछ पहले तेज रौशनी के साथ आसमान में दिखायी देता है। इस लिये इसको सुबह का तारा कहा गया है। यूनान वालो ने इसकी खूबसूरती से प्रभावित हो कर इसको (Venus) वीनस नाम दिया वीनस यूनान वालो की खूबसूरती की देवी है इसकी चमक और सुन्दरता के कारण इसको उर्दू में 'जहरा' कहा जाता है और इसकी चमक कभी–कभी इतनी तेज होती है कि इससे हम अपनी परछाई भी देख सकते है। यह दूसरा तारा है जो सूरज के निकट है यह धरती के भी करीब का तारा है यह सूरज के चारों तरफ घूमता है वैज्ञानिकों का ख्याल है कि इसकी बनावट जमीन से काफी मिलती जुलती है जहरा की कशिश जमीन से ज्यादा है। इस लिये सूरज का जितना प्रकाश इस पर पड़ता है यह इसको उससे कही ज्यादा वापस करता है इसी कारण यह अधिक चमकदार दिखायी देता है।

विशेषज्ञों का विचार है कि इसकी चाल एक सी नहीं होती है यह साधारणता पूरब से पश्चिम की तरफ चलता हुआ दिखायी देता है।

सुबह का तारा या जहरा बादलो के घने सफेद हाले में घिरा हुआ है विशेषज्ञों का विचार है कि इसकी अधिकतर बाते धरती की तरह है इस लिये शायद जहरा पर भी जीवन हो इसी खोज के लिये वीनस 8 को जहरा पर भेजा गया इस पर खोज के मामले में रूस अमेरिका से आगे रहा और वीनस 8 ने बहुत सी नयी बाते बतायीं यहां मौसम भी अलग होते है जहरा पर चार मौसम होते हैं इन मौसमों का वक्त भी बराबर होता है जहरा के वातावरण पर भी शोध किया गया जहरा पर पायी जाने वाली गैस गरम हो कर फैलती है और फिर ऊपर उठती है वीनस–8 की सबसे बड़ी कामयाबी यह रही कि वातावरण में भाप के रूप में मौजूद पानी की मिकदार का पता चला है।

जहरा के सतह के बारे में (कयास आरायी) समावनावयन्त की गयी कि यह बगैर पानी का रेगिस्तान है और यह भी विचार है कि यह गर्म है।

❑❑

योग और धर्म-प्रचार

'योग' के 70 से अधिक शब्दकोषीय अर्थ हैं, लेकिन चिन्तकों तथा स्कॉलरों के नजदीक इसका सर्वमान्य अर्थ 'आत्मा का परमात्मा से मिलन' है। वे यौगिक क्रियाएं व आसन योग है, जिनके द्वारा आत्मा का परमात्मा से मिलन कराने की कोशिश होती है। इसी कारण इसे हिन्दू धर्म का अंग माना जाता है और इसके द्वारा धर्म–प्रचार का कार्य भी संपन्न कराया जाता है। लगभग दस वर्ष पहले एक तकरीर के दौरान एक सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि योग का 'वैश्विक प्रचार' वास्तव में धर्म–प्रचार का एक माध्यम है। मेरी यह बात उस वक्त सही साबित हुई जब मिस्र के काहिरा स्थित भारतीय दूतावास में खासकर मिस्रियों के लिए चलाये जा रहे शिविर में योग के आड़ में मुसलमानों को हिन्दुत्व की घुट्टी पिलाने की नाकामयाब कोशिश शुरू की गयी। घटनाक्रमों पर पैनी व गूढ़ नजर रखने वाले मुसलमानों व आलिमों ने इसका विरोध किया, जो सहज–स्वाभाविक था।

मिस्र से प्रकाशित पत्रिका 'साइंस एंड थियोलोजी' के नवम्बर 2004 अंक में मिस्र के मुफ्ती–ए–आजम (सबसे बड़े धर्मज्ञाता व धर्मादेशक) मौलाना गोमोअ अली ने अपने एक धर्मादेश में कहा कि योग वास्तव में हिन्दुत्व पर अमल करने का तरीका है। इसकी इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। इस पत्रिका में यह धर्मादेश छपने के पूर्व अरबी रिसाला (पत्रिका) माहनामा 'अल–हयात' में प्रकाशित हो चुका था। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने आचार्य रजनीश के जरिये दिखायी गयी राह पर अमल करना बन्द कर दिया, लेकिन मुस्लिम देशों में अब तक अपनी योग–सरपरस्ती जारी रखी है।

इसके कारण मलेशिया में भी 'योग–शास्त्रियों' को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा, जब 24 नवम्बर 2008 को मलेशिया की नेशनल फत्वा कौंसिल के चेयरमैन अब्दुश्शकूर हुसैन ने योग को हराम करार दिया, जिसे लेकर कई प्रतिक्रियाएं सामने आयीं। वे मुसलमान जो इस्लाम की सही जानकारी व ज्ञान नहीं रखते हैं, वे भी बोले। इसी दौरान इंडोनिशिया की उलेमा कौंसिल (जो सरकारी संस्था है) ने योग की अस्लियत व हकीकत को जानने–समझने के बाद इसे मुसलमानों द्वारा अपनाने को गलत ठहरा दिया। इस संस्था ने कहा कि स्वास्थ के नाम पर वरगलाया नहीं जा सकता।

योगय के खिलाफ ईसाई धर्माचार्यों के भी 'फत्वे' हैं। ईसाई जन बरसों–दशकों पहले इसकी हकीकत समझ गये थे। फ्रेंच लेखक जीन डेकानेट (Jean Dechanet) ने इस विषय पर 1960 में अपनी जो मशहूर किताब लिखी, उसका नाम है – 'क्रिश्चियन योगा' (प्रकाशक : हार्पर, न्यूयार्क) इस किताब में उन्होंने भारतीय पद्धति की यौगिक क्रियाओं को खारिज किया और ईसाई पैटर्न 'योग' को अपनाने पर जोर दिया। मुसलमानों की तरफ से भी ऐसी कोशिशें हुई हैं। 1977 में प्रकाशित पुस्तक 'नमाज़ : द योगा ऑफ इस्लाम' में इसके लेखक अशरफ एफ0 निजामी साहब लिखते हैं कि इस्लाम में योग के लिए स्थान नहीं है। नमाज योग से बढ़कर है, जिसकी ओर मुसलमानों को ध्यान देना चाहिए (Bombay, D. B. Traraporewala 1977) रहा 'तर्क' यह कि योग के दौरान धर्म–शब्दों का जाप जरूरी नहीं, जैसा कि बाबा रामदेव और कुछ मुसलमानों ने फरमाया है, इसके उत्तर में इतना कहा जा सकता है कि क्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य रक्षा के लिए बस एक ही विकल्प बाकी है। फिर उस तरफ हम क्यों जाएं, जहां से जरा भी विचलित होने पर आस्था प्रभावित हो सकती है। ऐसा रिस्क क्यों लें? अगर यह स्वास्थ्य के लिए इंतिहाई लाभप्रद है, तो

शेष पृष्ठ 29 पर

भारत का संक्षिप्त इतिहास

निरंतर

मुगल काल

— इदारा

बाबर का राणा साँगा के साथ संघर्ष— राणा साँगा से लोहा लेने के पूर्व बाबर ने उसके मार्ग में आने वाले धौलपुर, बियाना तथा ग्वालियर के छोटे—छोटे अफगान सरदारों को नतमस्तक करने का निश्चय किया। बियाना राजपूताने का फाटक था। वह मेवाड़ की सीमा के सन्निकट स्थित था। बियाना के दुर्ग का सामरिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा महत्त्व था। यदि बाबर इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता तो उसे अपने साम्राज्य की रक्षा करने में बड़ी सुविधा होती और इसे अपना आधार बनाकर वह राजपूताना में प्रवेश भी कर सकता था। फलतः बाबर ने बियाना पर अपना अधिकार स्थापित करने का निश्चय कर लिया। बियाना आलम खाँ के छोटे भाई निजाम खाँ के साथ मैत्री स्थापित करने का प्रयत्न किया। इन सब घटनाओं ने राणा की आँखें खोल दी। वह भी अपनी सेनाओं के साथ आगे बढ़ा और कन्दर के दुर्ग पर जो रणथभौर से थोडी दूर था अपना अधिकार जमा लिया। बाबर राणा की गतिविधि को देख रहा था और स्थिति की गम्भीरता को समझ रहा था। वह अफगान सरदारों को अपनी ओर मिलाना चाहता था। अतएव उसने इस युद्ध को 'जेहाद' या धर्म—युद्ध के नाम पुकारा। उसने मार्ग में आने वाले अफगान—सरदारों से यह अनुरोध किया कि वे अपनी जागीर छोड़कर सुरक्षित प्रान्तों में चले जायें जहाँ उन्हें उतनी ही बड़ी जागीर मिल जायेगी। प्रायः सभी अफगानों ने बाबर के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार 'ग्वालियर' बियाना, धौलपुर तथा अन्य दुर्ग बाबर के अधिकार में आ गये जिनमें उसने मुगल सेनाएं रख दीं। परन्तु हसन खाँ मेघाती ने जो बहुत बड़ा अफगान—सरदार था बाबर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उसका विरोध करना आरम्भ कर दिया। उसने इब्राहीम लोदी के भाई महमूद लोदी को उतराधिकारी घोषित कर दिया और उसके लिए राणा साँगा की सहायता प्राप्त कर ली। अब हसन खाँ तथा राणा की संयुक्त सेनाएं आगे बढ़ीं और बियाना पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 11 फरवरी, 1527 ई0 को बाबर ने युद्ध के लिये आगरे से प्रस्थान कर दिया ओर सीकरी नामक स्थान पर पहुँच गया। सीकरी के सन्निकट एक बहुत बड़ी झील थी। पानी की सुविधा की दृष्टि से बाबर ने वहीं पर अपना खेमा डाल दिया और युद्ध की तैयारी करने लगा। राणा अपनी सेना के साथ सीकरी के पास आ गया। उसकी सेना बाबर की सेना के एक अंग पर टूट पड़ी और उसे छिन्न—भिन्न कर दिया। इससे बाबर के सैनिकों को बड़ी निराशा हुई और उनका उत्साह भंग होने लगा। इसी समय कुछ अफगान सरदारों ने उपद्रव करना आरम्भ किया, कुछ स्वतन्त्र हो गये और कुछ ने बाबर का साथ दिया। इससे बाबर की चिन्ता और बढ़ गई। उसने अपने आदमियों की फिर एक सभा की और उनके सामने उसने एक बड़ा ही जोजपूर्ण भाषाण दिया और उसने यह शपथ करवा ली कि मरते दम तक लड़ेंगे। बाबर ने स्वयं शराब पीना छोड़ दिया, शराब पीने के सोने—चाँदी के बर्तन तोड़ दिये और उन्हें गरीबों तथा फकीरों को दे दिया। इससे बाबर के सैनिकों का उत्साह बढ़ गया और वे शत्रु का सामना करने के लिए कटिबद्ध हो गये।

कनवाह अथवा खनवा का युद्ध— सीकरी से दस मील की दूरी पर कनवाह अथवा खनवा नामक पर 17 मार्च, 1527 ई0 को प्रातःकाल साढ़े नौ बजे बाबर तथा राणा साँगा की सेनाओं में भीषण संघर्ष हो गया।

बाबर ने खनवा के युद्ध में उसी प्रकार की व्यूह–रचना की थी जिस प्रकार की पानीपत के मैदान में। उसने अपनी सेना के सामने गाड़ियों की कतार लगवा दी थी जिन्हें उसने लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया था। इन गाड़ियों की आड़ में उसने तोप तथा बंदूक चलाने वालों को रखा था जो शत्रु पर अग्नि–वर्षा करते थे। उसने अपनी सेना को तीन भागों में विभक्त कर दिया था, अर्थात् दाहिना पक्ष, बायाँ पक्ष ताा मध्य–भाग। दाहिने–पक्ष का संचालन हुमायूँ, बायें का मेंहदी ख्वाजा और मध्य–भाग का बाबर स्वयं कर रहा था। तोपों तथा बन्दूकों के संचालन का कार्य उस्ताद अली को सौंपा गया था। सेना के दोनों सिरों पर बाबर ने तुलगम सैनिक रखे थे, जिनका कार्य था युद्ध के जम जाने पर दोनों ओर से घूम कर शत्रु की सेनाओं को घेर कर उन पर पीछे से आक्रमण करना।

पहले राजपूतों ने बाबर की सेना के दाहिने पक्ष पर आक्रमण किया और उसे अस्त–व्यस्त कर दिया। यह देखकर बाबर ने राजपूतों के बायें पक्ष पर अपने चुने हुए सैनिकों को लगा दिया और बड़ी भयंकरता के साथ युद्ध होने लागा। इससे राजपूतों के वाम–पक्ष तथा मध्य–भाग का मार्ग खुल गया। मुस्तफा रूमी ने इससे पूरा लाभ उठाया। उसने अपने तोपखाने को आगे बढ़ाया और अग्नि की वर्षा आरम्भ कर दी। मुगलों के वायें पक्ष पर भी भयानक युद्ध हो रहा था। इस समय तुलगम सेना ने बड़ी सफलतापूर्वक राजपूतों पर आक्रमण किया और उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर बाण–वर्षा आरम्भ कर दी। तोपों के सामने राजपूतों का ठहरना असम्भव हो गया। यद्यपि राजपूत सायंकाल तक बड़ी वीरता तथा साहस के साथ लड़े परन्तु उनकी पराजय हो गई। राणा साँगा घायल हो गया था और रणक्षेत्र से हटा दिया गया था। कुछ दिनों उपरान्त राणा साँगा का परलोकवास हो गया।

खनवा के युद्ध में राजपूतों की पराजय के कारण– राजपूतों की पराजय का सबसे बड़ा कारण बाबर का कुशल सेनापतित्व था। बाबर में सैन्य–संचालन तथा व्यूह–रचना की अद्भुत प्रतिमा थी। वह रण–नीति का प्रकाण्ड पण्डित था। भयानक से भयानक आपत्ति के आ जोने पर भी वह घबराता न था और हतोत्साहित हो जाने पर अपने सैनिकों को प्रोत्साहित तथा उत्तेजित करने की उसमें अद्भुत प्रतिमा थी। बाबर के सैनिकों की पैंतरेबाजी विलक्षण थीं।

बाबर की विजय का दूसरा कारण बाबर द्वारा तोपखाने का प्रयोग था। राजपूत इस प्रकार के युद्ध के अग्यस्त न थे। इन अग्नि–अस्त्रों के सामने राजपूतों की सारी वीरता तथा उसका अदम्य साहस निरर्थक सिद्ध हुआ।

खनवा के युद्ध में बाबर को विजय दिलाने में उसकी तुलगम सेना ने बड़ी सहायता की। यद्यपि रक्षा के दृष्टिकोण से तुलगम सेना बड़ी निर्बल होती है परन्तु आक्रमण के दृष्टिकोण से वह बड़ी उपयोगी होती है। जब बाबर की तुलगम सेना ने राजपूतों को पीछे से घेर लिया तब राजपूतों का भीषण संहार आरम्भ हो गया और वे परास्त हो गये।

बाबर की सेना छोटी थी परन्तु वह बड़ी ही सुव्यवस्थित थी। उससे उनका संचालन सुचारू रीति से हो सकता था। इसके विपरीत राणा साँगा की सेना अत्यन्त विशाल थी जिसका संचालन करना कठिन था।

राणा साँगा ने एक बहुत बड़ी भूल यह की थी कि बियाना पर अपना अधिकार स्थापित करने के उपरान्त उसने तुरन्त बाबर पर आक्रमण नहीं किया। इससे बाबर को अपनी व्यूह–रचना के लिए काफी समय मिल गया। यदि राणा साँगा ने तुरन्त आक्रमण कर दिया होता तो सम्भवतः परिणाम कुछ और ही होता।

खनवा के युद्ध में बाबर की विजय का एक और कारण था।

युद्ध की प्रारम्भिक अवस्था में ही राणा साँगा घायल होकर बेहोश हो गया था और रण–क्षेत्र से हटा लिया गया था परन्तु सेना के मनोबल को बनाये रखने के लिए झाला नामक सरदार को राणा के वस्त्र पहना कर उसके हाथी पर उसे बिठा कर युद्ध का संचालन होता रहा। ऐसी स्थिति में राजपूत लोग राणा की योग्यता, उसके अनुभव तथा उसके नेतृत्व से वंचित रहे। परन्तु राणा के किसी अनुयायी ने न तो उसका साथ छोड़ा और न उसके साथ विश्वासघात किया।

खनवा के युद्ध के परिणाम– खनवा के युद्ध का भारतीय इतिहास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस युद्ध ने राजपूतों के संघ को छिन्न–भिन्न कर दिया क्योंकि मेवाड़ के राज–वंश को, जो इस संघ का गूलावार था, बहुत बड़ा धक्का लगा। वास्तव में राणा साँगा की पराजय से उसके परिवार की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा आगात लगा। राजपूत संध के छिन्न–भिन्न हो जाने से हिन्दुओं की प्रधानता को बहुत बड़ा धक्का लगा और पास–पड़ोस के मुसलमान राज्यों को जो भय उतपन्न हो रहा था वह समाप्त हो गया। हिन्दू लोग उत्तरी भारत में अपनी प्रभुत्व–शक्ति को स्थापित करने का जो स्वप्न देख रहे थे वह सदैव के लिए समाप्त हो गया। राजपूताना एक बार फिर असुरक्षि हो गया और पास–पड़ोस के राज्यों का फिर उस पर आक्रमण आरम्भ हो गया। उसकी स्वतन्तत्रता फिर खतरे में पड़ गई। खनवा के युद्ध ने मुगल–साम्राज्य की स्थापना में जो एक बहुत बड़ी बाधा थी उसे दूर कर दिया। बाबर ने अब गाजी की उपाधि धारण की और भारत में उसका सिंहासन पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गया। अब उसकी दिलचस्पी काबुल से खिसक कर हिन्दुस्तान चली आई और यहीं पर वह अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। राजपूतों की पराजय से अफगानों को भी बहुत बड़ा धक्का लगा। क्योंकि राजपूतों की सहायता से वे एक बार फिर अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता को पुनः प्राप्त करने का स्वप्न देख सकते थे परन्तु अब मुगलों के सामने उनका धराशायी हो जाना अवश्यम्भावी हो गया।

चन्देरी पर आक्रमण– खनवा की विजय के उपरान्त बाबर बियाना की ओर चला गया। वह राजपूताना के भीतर घुसना चाहता था। परन्तु गर्मी के कारण यह मेवात (अलवर) से आगे न बढ़ सका। मेवात को उसने अपने अधिकार में कर लिया। मेवात से बाबर सम्भल गया और वहीं पर चन्देरी पर आक्रमण करने की योजनाएं बनाने लगा। चन्देरी का व्यापारिक तथा सामरिक दोनों ही दुष्टिकोणों से बहुत बड़ा महत्व था। यह बड़ा ही सम्पन्न नगर था। नगर के सामने ही 230 फीट ऊँची चट्टान पर चन्देरी का दुर्ग बना हुआ था। अपनी स्थिति के कारण चन्देरी का बहुत बड़ा महत्व था। यह मालवा तथा बुन्देलखण्ड की सीमाओं पर स्थित था और मालवा से राजपूताना को जो सड़क जाती थी वह यहीं से होकर जाती थी। इन दिनों चन्देरी में मेदिनी राय शासन कर रहा था जो राणा साँगा का जागीरदार था। परन्तु राणा की पराजय के उपरान्त उसने बाबर के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया। फलतः बाबर ने युद्ध की तैयारियाँ आरम्भ कर दीं और 21 जनवरी, 1528 ई0 को वह अपनी सेना के साथ चन्देरी पहुँच गया। अपने सैनिकों को उत्तेजित करने के लिए इस युद्ध को भी उसने 'जेहाद' का स्वरूप दिया। दूसरे दिन बाबर ने चन्देरी के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और केवल एक घण्टे के युद्ध के उपरान्त उसने उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। राजपूतों का भीषण संहार हुआ। चन्देरी अहमदशाह को दे दिया गया जो मालवा के राज–वंश का था। मेदिनी राय की दो कन्याएं पकड़ ली गईं जिनमें से एक कामरान को और दूसरी हुमायूं को दे दी गई।

अफगानों के साथ अन्तिम संघर्ष– चन्देरी के बाद बाबर रायसेन, भिलसा तथा सारंगपुर को

लेना चाहता था और फिर चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहता था, परन्तु इसी समय उसे अफगानों के उपद्रव की सूचना मिली। अतएवं उसने अपनी योजना बदल दी और अफगानों के दमन करने के लिए प्रस्थान कर दिया। अफगान लोग भयभीत होकर बिहार तथा बंगाल की ओर भाग गये और सुल्तान महमूद लोदी की अध्यक्षता में अपने को संगठित करने लगे।

सुल्तान महमूद लोदी सिकन्दर लोदी का पुत्र और इब्राहीम लोदी का भाई था। पानीपत के युद्ध के उपरान्त हसन खाँ मेवाती तथा राणा साँगा ने उसे इब्राहीम लोदी के सिंहासन का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया था। खनवा के युद्ध में वह बाबर के विरुद्ध लड़ा भी था और परास्त हो जाने पर मेवाड़ में शरण ली थी। मेवाड़ से वह बिहार चला गया था वहीं पर वह अफगानों को मुगलों के विरुद्ध संगठित कर रहा था।

20 जनवरी, 1529 ई0 को अफगानों को दण्ड देने के लिए बाबर ने आगरे से प्रस्थान कर दिया। महमूद लोदी भी अपनी सेना के साथ गंगा नदी के किनारे–किनारे चुनार की ओर बढ़ रहा था। 31 मार्च को बाबर चुनार पहुँच गया। बहुत से अफगान डर कर नत–मस्तक हो गये और बहुत से बंगाल की ओर भाग गये। बाबर आगे बढ़ता गया और गंगा तथा कर्मनाशा नदी के संगम पर पहुँच गया।

घाघरा का युद्ध– बाबर ने अफगानों से अन्तिम संघर्ष करने का निश्चय कर लिया था। पहली मई को उसने गंगा नदी को पार कर लिया और तीन दिन बाद उसकी सेना ने घाघरा नदी को पार करने का प्रयत्न किया। यद्यपि अफगानों ने उसे रोकने का प्रयास किया परन्तु बाबर की सेना नदी पार करने में सफल हो गई। अफगान लोग अत्यन्त भयभीत हो गये और मैदान से भाग खड़े हुए। यह बाबर की तीसरी तथा अन्तिम विजय थी, जिसके द्वारा बाबर सम्पूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बन गया। ❑❑

मुस्लिम पर्सनल लॉ .....

विवाह का उल्लेख भी इस सन्दर्भ में किया जा सकता है।

इनके अतिरिक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने और भी प्रावधानों से दूसरे समुदाय के कानूनों को प्रभावित करता है। यह महिलाओं का भी प्रिय कानून है यहां तक कि अब तो हिन्दू महिलाएं भी मह्र की मांग करने लगी हैं। सुश्री अर्चना सेमवाल 'दैनिक भास्कर' (भोपाल) के 3 जनवरी 1996 के अंक में "हिन्दू महिलाओं को भी मह्र मिलना चाहिए" शीर्षक लेख में यह भी लिखा था कि "मह्र एक तरह से मुस्लिम स्त्रियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का साधन माना जाता है। पैग़म्बर साहब (सल्ल0) ने जहां पति को विवाह विच्छेद का अधिकार दिया है, वहां पत्नी को मह्र की रक़म पर अधिकार दिया है। यह पति द्वारा तलाक़ के अधिकारों का स्वच्छंद प्रयोग करने से पत्नी की रक्षा करता है।" वास्तव में यह मांग सही दिशा में महिला चेतना व जागरूकता का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी संसद में अपनी सरकार के लिए असफल बहुमत जुटाते हुए यह कह बैठते हैं कि "मुस्लिम पर्सनल लॉ की मुझे एक बात पसन्द है, वह है शादी के पूर्व लड़की की रजामंदी।" जब परिस्थितियां इस तरह की हैं, तो समान सिविल कोड की तथाकथित मांग निरर्थक सिद्ध हो जाती है। वैसे भी अल्लाह के कानूनमें परिवर्तन का किसी को हक़ नहीं है। हां, भारत में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ "मुहम्मडन लॉ" के नाम से प्रचलित है, उसमें अनेक खामियां हैं, उन्हें अवश्य दूर किया जाना चाहिए। ये खामियां इसके तैयार करने वालों की ओर से हुई हैं। क्योंकि इस काम में उलमा (इस्लामी विद्वानों) से मदद नहीं ली गयी, तर्जुमों से काम किया गया। ऐसे में ग़लतियों का होना संभव ही नहीं अवश्यंभावी है।

❑❑

इस्लाम ने धर्म विमुखता से उबार लिया

–अब्दुल करीम हरबर्ट

मैंने इस्लाम क्यों स्वीकार किया? इस प्रश्न का एकमात्र यथोचित उत्तर यह है कि अल्लाह ने अपनी दयालुता से मुझे परम सत्य को स्वीकार करने का सौभाग्य प्रदान किया।

मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मानव प्रकृति एवं स्वभाव कुछ तथ्यों को संतोषजनक प्रमाणों तथा अकाट्य तर्कों के बिना स्वीकार करने से इन्कार कर देते हैं। मानव प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मैं यह अनुभव करता हूँ कि मेरा यह उत्तर उन लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकेगा जो सत्य की खोज पर तैयार और राज़ी न हों। न वे लोग इससे संतुष्ट होंगे, जिन पर सत्य का प्रकाश प्रकट नहीं हुआ। अतः मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं कि वे कुछ कारण यहाँ बयान कर दूँ जिनके आधार पर मैंने इस्लाम स्वीकार किया और उस पर क़ायम हूँ। यूरोपीय समाज में रहकर मैं इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि यहाँ के लोग केवल आर्थिक, राजनैतिक या सामाजिक प्रेरणाओं के कारण अपना धर्म नहीं त्यागते और न उस समय तक कोई अन्य धर्म स्वीकार करते हैं जब तक कि वह एक भरपूर तथा प्रभावकारी प्रेरक बनकर उनके दिल को आध्यात्मिक संतोष प्रदान न करे।

यदि इन्सान ग़ौर करे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि मेरा या यूरोपीय समाज के किसी अन्य व्यक्ति का इस्लाम स्वीकार करना आर्थिक या सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं होता बल्कि स्थिति लगभग इसके विपरीत है। पहली बात यह है कि यूरोपीय लोग धार्मिक मामलों को अधिक महत्व नहीं देते, फिर यदि यूरोपीय समाज में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो धार्मिक प्रवृत्ति रखता हो, तो उसका उद्देश्य ईश्वर की खोज के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। इस दृष्टि से इस्लाम में मेरी अपनी दिलचस्पी भी सत्य की खोज तथा वैचारिक सुधार के लिए थी।

सत्य की खोज की ख़्वाहिश मेरे मन में उस समय पैदा हुई जब मैंने अनुभव किया कि ईसाइयत की मौलिक अवधारणा से संबंधित कई संदेह एवं भ्रांतियां मेरे मन–मस्तिक में पैदा हो रही है। जबकि ईसाइयत इन सन्देहों एवं भ्रांतियों के निवारण के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो रही है और ईसाइयत का जोर इस बात पर है कि उसकी तमाम अवधारणाओं को बिना किसी तर्क एवं प्रमाण के मान लिया जाए।

उदाहरणार्थ, मेरा जेहन इस ईसाई अवधारणा के मानने को तैयार न था कि ईश्वर ने ईसा (अलैहि0) को सारे इन्सानों के पापों का बोझ उठाने वाला बनाकर भेजा। यह बात भी मुझे अच्छी न लगी कि समस्त मानवजाति विभिन्न प्रकार के पापों से ग्रस्त है और ईसा (अलैहि0) के सूली पर चढ़ जाने से सब पाप मुक्त हो गये। मैं यह भी महसूस करता था कि अपने बन्दों को बचाने का सारा सामर्थ्य अल्लाह ही के पास है तथा वही उनको अपराधों एवं पापों से रोक सकता है और अपनी मर्जी से पापों को क्षमा भी कर सकता है। मैंने यह भी महसूस किया कि पैग़म्बरों को अपने बन्दों के पापों का बोझ उठाने और नाइन्साफी का आरोप लगाने के समान है।

दूसरी ओर इन्सान को मानो किसी रुकवाट और संकोच के बिना अपराध एवं पाप करने की आजादी दी गयी। जब कभी मैंने इन सन्देहों को किसी ईसाई धर्मविद् या पादरी के सम्मुख व्यक्त किया तो उसने मुझसे कहा कि इन सन्देहों को जेहन से निकाल दो और मुझे इस

बात पर राजी करने का प्रयास किया कि मैं ईसाइयत की इन धारणाओं को बिना किसी शर्त या सन्देह के स्वीकार कर लूं। उन्होंने मुझ पर बहुत दबाव डाला कि उनके अपर्याप्त तर्कों पर आपत्ति न करूं ताकि ये सन्देह मेरे मन–मास्तिष्क में पनप न सकें। बल्कि सत्य जानने की इच्छा हर क्षण इतनी बढ़ रही थी कि मैं सिरे से धर्म से इन्कार करने के नाजुक मोड़ पर आ पहुंचा।

उन दिनों मुझे एक सुयोग्य और कर्मठ मुसलमान से वास्ता पड़ा जो यूरोपीय सभ्यता एवं संस्कृति की चमक–दमक वाली जिन्दगी के बीच रहने के बावजूद स्वयं को मुसलमान कहने पर गर्व महसूस करता था। उस व्यक्ति का यह दावा था कि इस्लाम की बरकत से उसे मानसिक शांति प्राप्त है। दूसरी ओर मेरे दिल में धर्म विमुखता जड़ पकड़ चुकी थी। उस व्यक्ति के इस दावे पर मुझे आश्चर्य हुआ और मैं विचारों के समुद्र में डूब कर सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा धर्म भी है जो अपने अनुयायियों को मन का संतोष और मानसिक शांति प्रदान कर सकता है? इस विचार ने इस्लाम के नियमों एवं सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

इस्लाम की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात जिसने मुझे प्रभावित किया, वह यह है कि इस्लाम बिना सोचे–समझे तथा चिंतन–मनन किये, इन्सान को नतमस्तक होने पर बाध्य नहीं करता, बल्कि उसको खूब सोचने–समझने तथा इस्लाम स्वीकार करने से पहले इस्लाम की प्रत्येक अवधारणा को बुद्धि एवं विवेक की कसौटी पर परखने का आह्वान करता है।

इस्लाम के अनुसार ईश्वर न्यायशील है। अतः यह संभव ही नहीं कि वह किसी एक इन्सान को समस्त मानवजाति के पापों का प्रायश्चित करने वाला बना दे। इस्लामी अवधरणा के अनुसार यह बात भी बुद्धि से परे है कि ईश्वर ने मनुष्य को ऐसी आज़ादी दी हो कि वह पाप करता रहे और उनका प्रायश्चित स्वतः होता रहे।

इस्लाम की इन शिक्षाओं ने मुझे धर्म विमुखता से उबार लिया और मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि धर्म एक स्थायी जीवन–व्यवस्था है जो मानव के लिए स्थायी समृद्धि, सम्मान तथा अपार सफलता की गारंटी देता है।

इस नाजुक मौके पर मैंने एक ओर तो इस्लाम का गहन एवं शोधपरक अध्ययन किया, दूसरी ओर मैंने अपना ध्यान इस सवाल पर भी केन्द्रित रखा कि नित्व नयी समस्याओं को जन्म देने वाले आज के युग में इस्लाम किस प्रकार अपने अनुयायियों को मानसिक शांति एवं संतोष प्रदान करता है। फिर जब हर प्रकार से मुझे इत्मीनान हो गया तो मैंने इस्लाम स्वीकार कर लिया।

यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस्लाम से मुझे क्या–क्या सीख मिली। इस्लाम समस्त मानवजाति का मार्गदर्शन उन महान उद्देश्यों की ओर करता है जिनके लिए मानव की रचना की गयी। इस्लाम मानव समाज को शांति का सन्देश देता है, भाईचारे और बराबरी का रिश्ता क़ायम करता है तथा रंग, जाति आदि के भेद भाव को समाप्त करता है। यह इन्सानों को सामाजिक तथा आर्थिक शोषण से मुक्त करता है तथा उन्हें साफ़ सीधे रास्ते पर चलने का पथ–प्रदर्शन करता है।

इस्लाम केवल जीवन के ठहराव एवं पतन का ही विरोध नहीं करता, बल्कि यह समस्त मानवजाति को प्रगति करने की प्रेरणा भी देता है। यह व्यक्ति को धन–दौलत कमाकर औद्योगिक एवं व्यापारिक उन्नति की अनुमति देता है। यह पारश्रिमिक तथा पुरस्ककार प्राप्त करने की अनुमति भी देता है बशर्ते कि यह सब वैध तरीके से प्राप्त किया जाए।

दस वर्ष पूर्व जब मैंने इस्लाम स्वीकार किया तो मेरे पथ–भ्रष्ट, परेशान और विद्रोही मन को शांति मिली, अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं इत्मीनान और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।

(कान्ति के शुक्रिय के साथ)

❑❑

मुस्लिम पर्सनल लॉ का महत्व

-डा० मुहम्मद अहमद

फ़िज़ा–चांद मुहम्मद प्रकरण सबके सामने है। इसे लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर भी प्रकाश डाला जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की सबसे बड़ी विशेषता उसका ईश्वरीय कानून होना है। इसलिए यह एक स्वाभाविक और सर्वमान्य बात होनी चाहिए और है भी कि जो जगत के विधाता एवं तत्वदर्शी द्वारा बनाया गया कानून है, उसमें इन्सानी स्वभाव का पूर्णतः लिहाज़ रखा गया हो और कानून सार्वदेशिक व सार्वकालिक हो। ये सारे गुण इस्लामी शरीअत के कानूनों में पाये जाते हैं। यही वह कारण है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ने ग़ैर–मुस्लिम भाइयों के पारिवारिक व दूसरे कानून को प्रभावित किया है। इस प्रकार उसने अपनी महत्ता सिद्ध की है और अपने को बार–बार ईश्वररचित सिद्ध भी कर दिया है। इसके बावजूद कुछ विरोधी तत्व मुस्लिम पर्सनल लॉ की आलोचना और उस पर आपत्तियां करते नहीं अघाते। हालांकि इनके कुप्रयासों में कोई तर्क और प्रमाण नहीं होता, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि थोथे, निरर्थक और मनगढ़ंत आधारों पर ये तत्व अपने प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिये लोगों को जरूर गुमराह करते हैं। इस प्रकार ये लोगों के बीच घृणा, वैमनस्यता और भेदभाव पैदा करने की हर संभव कोशिश करते हैं, ताकि ये अपने निहित स्वार्थ का उल्लू सीधा कर सकें।

ये तत्व मुस्लिम पर्सनल लॉ पर सबसे अधिक आक्षेप बहुविवाह और तलाक़ की व्यवस्था पर करते हैं। जहां तक बहुविवाह का प्रश्न है, तो इस्लाम में एक साथ चार तक पत्नियां रखने का प्रावधान है, साथ ही ऐच्छिक भी। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस्लाम के सिवा दूसरे धर्मों में बहुविवाह का जो प्रावधान है, उसमें कोई सीमा रेखा भी नहीं है कि कितनी पत्नियां एक समय में हो सकती हैं और न ही कोई शर्त है। महाभारत में तो बहुविवाह को कल्याणकारक माना गया है (आदि पूर्व 160–36–11) भारत में हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के पूर्व तक बहुविवाह वैध था, लेकिन इस स्वाभाविक विधान को ख़त्म कर दिया गया। इसका कुपरिणाम विभिन्न जिंसी अराजकता एवं स्वच्छंदता के रूप में हमारे सामने है। इस उदाहरण से भी मुस्लिम पर्सनल लॉ की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। इस लॉ ने हिन्दू विवाह अधिनियम पर एक और जो महत्वपूर्ण उपकार किया है, वह है उसमें तलाक़ की व्यवस्था, जबकि विरोधी तत्व इस पर आपत्ति करते हैं । हिन्दू कोड से पहले तलाक की व्यवस्था से यह पूरा समुदाय वंचित था। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 की उपधाराओं के उपखंडों में तलाक के अनेक आधार गिनाये गये हैं। जिन्हें 1976 के संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर के द्वारा और व्यापकता प्रदान कर दी गयी है। तलाक की व्यवस्था से निश्चय ही लोगों को फायदा पहुंचा है, लेकिन इस तथ्य से इन्कार भी नहीं है कि कहीं–कहीं इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। इस्लाम में इसके दुरुपयोग की गुंजाइश इसलिए भी नहीं है कि तलाक का प्रावधान उस समय है जब पति–पत्नी में बनाव व सुलह की सारी कोशिशें विफल हो जाएं। एवं इस प्रावधान को उस परिस्थिति में ही अपनाने की जरूरत है। इसलामी शरीअत ने अपनी वसीयत की व्यवस्था से भी दूसरे समुदायों के कानूनों को प्रभावित किया है हिन्दू कोड मे वसीयत नामे का विस्तृत प्रावधान उपलब्ध है। महामहोपाध्याय डॉ0 पी0वी0 काणे के अनुसार "हिन्दू विधि में इच्छा–पत्र विषयक उपबंध की उत्पत्ति को मुस्लिम कानून के प्रभाव के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।" (History of Dharmshastra, Vol-iii, P.816)। हिन्दू कोड में विधवा

शेष पृष्ठ 35 पर

किस्त 12

हिन्दी लिपि में उर्दू शब्दों का उच्चारण तथा अर्थ

— इदारा

नोट : बिन्दी वाले अक्षरों के उच्चारण स्थान, उर्दू वालों से सीखना आवश्यक है।

शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ	शब्द	अर्थ
जानिब	ओर	जब्बार	महा शक्तिवान	जज़्ब	शोषण
जानिब दार	पक्षपाती	जब्र	बल प्रयोग	जज़्बा	भावना
जानिब दारी	पक्ष पात	जबरन	बल पूर्वक	जज़्बातियत	भावुक्ता
जांबांज़	वीर	जबरूत	प्रताप	जुरअत	साहस
जानदार	जीवधारी	जबल	पर्वत	जरासीम	किटाणू
जानशीन	उत्तराधिकारी	जिबिल्लत	प्रकृति	जरासीम कुश	किटाणू नाशक
जानशीनी	उत्तराधिकार	जब्हः	माथा	जर्राह़	अस्त्रचिकिसक
जां फ़िशानी	परिश्रम	जबीन	माथा	जराह़त	घाव
जांकाह	प्राणांतक	जुस्सः	शरीर	जर्राही	अस्त्रचिकित्सा
जांनिसारी	प्राणोत्सर्ग	जद्द	पितामह	जर्रार	शूरवीर
जानवर	जीवधारी	जुदा	प्रथक	जरस	घन्टी
जावेदां	सर्वोदा, सदैव	जदल	लड़ाई	जुर्अः	घूटं
जावेद	अमर	जिदाल	लड़ाई	जुर्म	अपराध
जाह	वैभव	जिद्दत	नवीनता	जरी	शूरवीर
जाहिल	मूर्ख	जिद्दो जुह्द	प्रयास	जिर्यान	प्रमेह
जाहिलीयत	मूर्खता	जदीद	नवीन	जरीदः	समाचार पत्र
जायदाद	सम्पति	जदवल	नाली	जुज़्व	भाग
जायदादे मन्क़ूला,	चल सम्पति	जदीद तरीन	नवीनतम	जुज़	अतिरिक्त
जाइज़ा	समीक्षा	जुज़ाम	कोढ़	जुज़	भाग
जा	स्थान	जुज़ामी	कुष्ठ ग्रस्त		

पाठक जिस उर्दू शब्द का अर्थ जानना चाहेंगे अर्थ सहित छापा जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

— डॉ0 मुइद अशरफ नदवी

ग़ज़्ज़ा के लिए 60 करोड़ डॉलर की मदद

रामल्लाह। पश्चिमी देशों के समर्थन वाली फलस्तीन सरकार ने हाल ही में इजराइली हमले से तबाह हुए गाजा पट्टी क्षेत्र के लिए 60 करोड़ डालर की सहायता योजना की घोषणा की है। फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की ओर से गाजा में पुनर्निर्माण से जुड़ी इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद प्रधानमंत्री सलाम फयाद ने यह घोषणा की। श्री फयाद ने बताया कि इस योजना के तहत इजराइल के 22 दिन के हमले के दौरान नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त हुए मकानों को फिर से बनाने का काम भी शामिल किया गया है। जानकारों के मुताबिक इस क्षेत्र में नियंत्रण कायम करने वाले इस्लामिक संगठन हमास के कोई श्रेय मिलने से रोकने के लिए ही पश्चिमी देशों की पहल पर यह सहायता योजना घोषित की गई है।

स्वात में इस्लामी कानून लागू कराएगी पाक सरकार

पाकिस्तान सरकार तालिबान के कब्जे वाली स्वात घाटी समेत उत्तरपश्चिम फ्रंटियर प्रांत में इस्लामी कानून (शरीयत) लागू करने को राजी हो गई है। सोमवार को इस आशय का समझौता सरकार और तालिबान समर्थित संगठन तहरीक–ए–निफाज़े शरीयत–ए–मोहम्मदी के बीच हुआ। समझौते के मुताबिक अब उत्तर पश्चिम प्रांत में इस्लाम के खिलाफ जाने वाले सभी सरकारी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। प्रांत के मुख्यमंत्री अमीर हैदर खान होती ने बताया कि तहरीक–ए–निफाज़ेशरीयत–ए–मोहम्मदी प्रमुख मौलाना सुफी मोहम्मद और प्रांतीय सरकार के बीच इस तरह का समझौता हो गया है।

पाक को हथियार जैसे शराबी को शराब : मेनन

लंदन। भारत के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने अंतराष्ट्रीय बिरादरी से कहा है कि अगर आतंकवाद पर लगाम लगानी है तो पाकिस्तान के पेच कसने होंगे। यानी उसे हथियारों की बिक्री बंद करनी होगी। मुम्बई हमलों का उल्लेख करते हुए मेनन ने कहा कि पाक को हथियार देना वैसा ही है जैसा किसी शराबी को शराब देना। मेनन ने पेरिस में एक कार्यक्रम में दो टूक शब्दों में कहा कि मुम्बई पर हमला आई एस आई प्रायोजित था।

कार या हवाई जहाज़

इसे कार कहें या हवाई जहाज़, जल्द ही एक ऐसी सवारी आने वाली है, जो सड़कों पर दौड़ने के साथ–साथ आसमान में भी उड़ेगी। अगले महीने इसे आसमान में उड़ान की तैयारी चल रही है। टेराफ्यूजिया ट्रंजिशन नामक इस टू–सीटर गाड़ी की पहली फ्लाइट को कामयाब बनाने की पूरी तैयारी है। खास बात यह होगी कि यह टू–सीटर कार सड़क पर 15 सेकेंड के अन्दर खुद को प्लेन में तब्दी कर सकेगी। उम्मीद है कि करीब 18 महीने में यह गाड़ी शोरूमों में आ जाएगी। बनाने वाली कम्पनी का कहना है कि इसे चलाना बेहद आसान होगा, क्योंकि इसमें सामान्य अनलेडिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं यह आसानी से गराज में रखे जाने लायक भी होगी।

मैसाचूसिट्स स्थित कम्पनी टेराफ्यूजिया के कार्ल डीट्रिक्स ने कहा–यह ऐसी पहली सचमुच की इंटीग्रेटेड डिजाइन है, जिसमें ऑटोमैटिकली विंग फोल्ड हो जाते हैं और सभी पार्ट्स वीइकल में ही मौजूद रहते हैं। दरअस्ल ट्रांजिशन को नासा के पूर्व इंजीनियरों ने विकसित किया है। जमीन और हवा दोनों ही जगहों पर यह 100 वी.एच.पी. के इंजन से काम करती है। टेराफ्यूजिया का दावा है कि पेट्रोल की सिंगल टैंक से यह 500 मील तक 115 मील प्रतिघंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम होगी।

❑❑